विषय सूची

क0 सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग / अधिकारी जिसके द्वारा सूचना / प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग / अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।	पृ0सं0
1	सक्षम अधिकारी / ऑन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी / कर्मचारी का प्रमाण–पत्र	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक	04
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1	2	प्रस्तावक	प्रस्तावक	05
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–2	3	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0	07
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–3	4	वन संरक्षक	वन संरक्षक	08
6	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	5	प्रस्तावक	-	15
7	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	6	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य	18
8	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	7	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0	
9	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग–अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	8	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी	23
10	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया।	9	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी	25
11	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	10	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी	
12	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	11	प्रस्तावक	प्रस्तावक	27
13	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी	
14	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	30
15	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	14	प्रस्तावक / जिलाधिकारी	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी	37
16	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	15	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी	39
17	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	16	प्रस्तावक	प्रस्तावक	43
18	बार चार्ट।	17	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	45
19	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	18	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	46
20	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार / व्यासवार विवरण।	19	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	47
21	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यॉकन / सारांश।	20	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	49
22	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	21	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	51
23	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण–पत्र।	22	वन संरक्षक	वन संरक्षक	52
24	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	23	[illegible]	[illegible]	54

				डी0एफ0ओ0	54
26	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	25	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0	55
27	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	26	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	57
28	राष्ट्रीय पार्कों / वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	27	प्रस्तावक		58
29	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक	59
30	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विशलेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारस्थितिकीय संतुलन का आंकलन। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक	
31	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति / ग्राम स्तरीय समिति	70
32	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	76
33	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक	
34	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	33	भू-वैज्ञानिक	भू-वैज्ञानिक	79
35	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	34	प्रस्तावक	प्रस्तावक	85
36	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	35	प्रस्तावक	प्रस्तावक	86
37	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	36	प्रस्तावक	प्रस्तावक	87
38	प्रस्तावित स्थल धार्मिक / पौराणिक / एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	37	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	89
39	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	38	प्रस्तावक	प्रस्तावक	90
40	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल / कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	39	प्रस्तावक	प्रस्तावक	91
43	लाभान्वित होने वाले ग्रामों / जनसंख्या / परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	40	प्रस्तावक	प्रस्तावक	92
44	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य / लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र।	41	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी	
45	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	42	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0	96
46	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	43	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0	97
47	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हों तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	44	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	101
48	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हों तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	45	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	103
49	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण / पथ वृक्षारोपण / दस गुना / बौनी प्रजातियों / 100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	46	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0	109
50	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	47	प्रस्तावक / भूस्वामी	भूस्वामी / जिलाधिकारी	
51	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	48	प्रस्तावक / भूस्वामी	भूस्वामी / जिलाधिकारी	

53	भारत सरकार के निर्देशानुसार [illegible] एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	50	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0	93
54	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	51	प्रस्तावक	प्रस्तावक	117
55	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	52	प्रस्तावक / डी0 एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0 एफ0ओ0	118
56	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने / लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	53	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक	
57	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	54	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक	121
58	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	55	डी0एफ0ओ0 / उच्चस्तरीय समिति	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक	
59	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	56	प्रस्तावक		
60	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	57	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	
	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।		प्रस्तावक		

प्रारुप–1

सक्षम अधिकारी / ऑन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी / कर्मचारी का प्रमाण–पत्र

Mr. **Kuldeep Singh Rawat** son of Sri **Kunwar Singh Rawat** is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding **Construction of Dam across Ramganga river for drinking water supply of Gairsain town and adjoining population in district Chamoli** under State Sector of the **Irrigation Division Tharali** (Chamoli) on the Government of India portal **www.forestclearance.nic.in** on behalf of the Executive Engineer Irrigation Division Tharali.

(Kuldeep Singh Rawat)

Assistant Engineer
Irrigation Sub Division
Gairsain (Chamoli)

Name and seal of the competent Authority

प्रारुप—2

भाग—1

परियोजना का नाम :— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी मे पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस—पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	पृष्ठ सं0 .... में संलग्न।
ग) परियोजना की लागत।	रु0. 6535.64 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	निर्माण हेतु अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	परियोजना का क्षेत्रफल 5.00 हे0 से कम है अतः लागू नहीं है।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	कृषि, पर्यटन, मछली पालन(Pisciculture), Horticulture इत्यादि।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः	पेयजल आपूर्ति हेतु।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	लागू नहीं
क) परिवारों की संख्या	शून्य ।
ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य ।
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य ।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?(हां / नही)	हां।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ—साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	पृष्ठ सं0 .... में संलग्न।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा।	निर्देशों के अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न है।

दिनांक..................

स्थान..................

कनिष्ठ अभियन्ता　　सहायक अभियन्ता　　अधिशासी अभियन्ता

भाग–2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति गोरसैंण
(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र उत्तराखण्ड
(ii) जिला चमोली
(iii) जिला वन प्रभाग केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 4.95 है0

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः वन पंचायत

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः संलग्न
(i) वन का प्रकार वन पंचायत
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व .6
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना संलग्न
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा संलग्न

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : 4.00 Km

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : नहीं

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : नहीं

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नहीं

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) निम्नानुसार

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : न्यूनतम है।

भाग–2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति गोरसैंण
(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र उत्तराखण्ड
(ii) जिला चमोली
(iii) जिला वन प्रभाग केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 4.95 हे०

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः वन पंचायत

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः संलग्न
(i) वन का प्रकार — " वन पंचायत
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व .6
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना संलग्न
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा संलग्न

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी भूक्षरण की संभावना नहीं है।

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : 4.00 Km

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : नहीं

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : नहीं

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नहीं

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) निम्नानुसार

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : न्यूनतम है।

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। अनुलग्न

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं) नहीं

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही नहीं

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं) नहीं

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे : संलग्न

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। सिविल

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। उपरोक्तानुसार।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। संलग्न

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां / नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : संलग्न

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां / नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

वन क्षेत्राधिकारी
स्थान: लोहबा वन क्षेत्र गैरसैंण
तारीख: 04/09/2021

प्रभागीय वनाधिकारी
हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

दुर्गा प्रसाद कपरूवाण
रा०उ०निरीक्षक
तहसील..
जनपद चमोली

पटवारी
गैरसैंण

अमित कंवर, निदेशक/वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 04.09.2021 को जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बॉध निर्माण हेतु 4.95 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर निरीक्षण आख्या :–

उक्त प्रस्तावित पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध निर्माण का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 04.09..2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप गौड़, वन क्षेत्राधिकारी, लोहवा रेंज एवं श्री कुलदीप सिंह रावत, सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड, गैरसैंण साथ में रहे। रामगंगा नदी पर बॉध निर्माण के स्थलीय निरीक्षण से पहले पेयजल आपूर्ति का मानचित्र एवं उससे लाभान्वित होने वाली बसावट, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का अध्ययन किया गया :–

प्रस्तावित संरेखण का निरीक्षण :–

बॉध के निर्माण से गैरसैंण शहर व उससे जुड़े ग्रामों को पेयजल की आपूर्ति होगी। निरीक्षण के दौरान पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध निर्माण के प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित संरेखण में बांज के विभिन्न व्यास वर्गो के 218 वृक्ष एवं अन्य प्रजातियों के 737 वृक्षों सहित कुल 955 वृक्ष प्रभावित होना पाया गया।

अतः प्रस्तावित संरेखण को स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उपयुक्त पाया गया तथा पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध निर्माण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है।

1. पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्राविधानों का उल्लंघन न होने पाये।
2. पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध निर्माण के लिये पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये।
3. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन अग्निकाल के दौरान आसपास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये।
4. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध निर्माण हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीवों का आखेट न होने पाये। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है।

(अमित कंवर)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

P.T.O.

पत्रांक 803 / 12-1 दिनांक 21-09-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

2:– उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

3:– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, थराली, चमोली।

(अमित कंवर)
निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

<u>भाग–3</u>

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बॉध निर्माण हेतु 4.95 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

28	स्थल जहॉं की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉं/नही) यदि हॉं तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हॉं
29	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉं
30	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध का स्थलीय निरीक्षण **दि0 04.09..2021** को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप गौड़, वन क्षेत्राधिकारी, लोहवा रेंज एवं श्री कुलदीप सिंह रावत, सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड, गैरसैंण साथ में उपस्थित रहे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान देखा गया कि प्रस्तावित पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध का वैकल्पिक संरेखण किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मौके पर पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध के प्रस्तावित संरेखण को उपयुक्त पाया गया। प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग–2 में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। अतः उक्त वर्णित पेयजल आपूर्ति हेतु बॉध निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रभावित न होने पाये।

तिथि 21-09-2021
स्थान–गोपेश्वर।

(अमित कंवर)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

प्रारुप–4

भाग–3

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां / नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पणी के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थानः
तारीखः

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

"प्रारूप ग"

वन भूमि में खनिजों के सर्वेक्षण के राज्य सरकारें और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों को धारा 2 के अधीन पूर्व मंजूरी लेने वाला प्रारूप।

खनन /चुगान हेतु आवेदन

भाग–1

1. **परियोजना का ब्यौरा** :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(i) प्रयोक्ता अभिकरण का नाम, पता और संपर्क ब्यौरेः– सिंचाई खण्ड थराली

(ii) प्रयोक्ता अभिकरण की विधिक प्रास्थिति :–

(iii) आवेदन करने वाले व्यक्ति नाम, पदनाम और पता :– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड थराली

(iv) प्रयोक्ता अभिकरण के निमित आवेदन करने के लिये इस आवेदन को करने वाले व्यक्ति की सक्षमता या प्राधिकरण के समर्थन में दस्तावेज (हां/नहीं)

(v) खोजी जाने वाली खनिज वस्तु

(vi) दोनों वन और गैर वन क्षेत्र में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा

(vii) प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये संबद्ध यथास्थिति मंत्रालय या विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुमोदन के ब्यौरे

(viii) पूर्वेक्षण पट्टे में सम्मिलित सम्मिलित वन और गैर वन भूमि के ब्यौरे

(ix) पूर्वेक्षण के लिए अपेक्षित वन भूमि का कुल क्षेत्र :

(क) भूमि उपयोग स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र

(ख) वन भूमि में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र

(x) कुल अवधि जिसके लिए वन भूमि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित हैः

(xi) परियोजना की प्राक्कलित लागत :

(xii) ऐसी वन भूमि के उपयोग के लिए चालू प्रास्थिति के साथ राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में यदि कोई है उपयोजित वन भूमि का ब्यौरा :

(xiii) प्रत्येक मामले में पूर्वेक्षण की चालू प्रास्थिति के साथ वन भूमि में खनिजों के पूर्वेक्षण के लिए प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में दी गई अनुमति के ब्यौरे :

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्तांव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

स्थानः

2. संलग्न मानचित्रों का ब्यौरा

(i) पूर्वेक्षण ब्लाक की सीमा दर्शित करने वाले 1:50000 स्केल के मूल में स्थल परतों का भारतीय सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण ब्लाक के भीतर अवस्थित वन भूमि के प्रत्येक टुकडे की सीमा; प्रत्येक नमूने प्लाट की अवस्थितियाँ छेदन उपकरणों के परिवहन के लिए उपयोजित होने वाले वेध छिद्र स्थल राडकों या पथमार्ग (साथ ही नए पथ के रास्ते को पृथक रूप से दिखाया न जाए) लगने वाले वनों की सीमाएं और पूर्वेक्षण आदि में पहचान की गई भूमि की सीमा से (10 किमी0) की दूरी पर अवस्थित संरक्षित क्षेत्र

टिप्पण 1 यदि 1:50000 स्केल में भारत के सर्वेक्षण स्थलपरत उपलब्ध नहीं हो तो विशेषतः अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के समीप अवस्थिति क्षेत्र के मामले और भारत स्थलपरत के सर्वेक्षण के स्थान पर अन्य रणनीतिक अवस्थितियां सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में उपलब्ध अन्य मानचित्रों का भी उपयोग किया जाए।

टिप्पण 2 तकनीकी कारणों से पूर्वेक्षण क्रियाकलाप करते समय, प्रयोक्ता अभिकरण 300 मीटर तक वेध–छिद्र नमूने प्लाट खंड या पथ आदि की अवस्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं परन्तु उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित वन भूमि के क्षेत्र या काटे जाने वाले प्रस्तावित वृक्षों की संख्या प्रस्ताव में वही दी गई संख्या से अधिक नहीं होगी।

3. (i) वन भूमि में पूर्वेक्षण के लिए न्यायोचितता :

(ii) जांच किए गए विकल्पों के ब्यौरे :

(iii) गैर आक्रामक पूर्वेक्षण क्रिया कलाप के ब्यौरे यदि कोई हो, विस्तारित प्रस्ताव में उपदर्शित वन भूमि में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया हो

4. अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्वेक्षण के लिए पहचान की गई वन भूमि अवस्थित है (हां / नहीं)

5. वन भूमि में किए जाने वाले प्रस्तावित क्रिया कलापों के ब्यौरे :

(i) सतह नमूने
(क) ग्राह प्रतिचयन
(ख) चिप प्रतिचयन
(ग) खांचा प्रतिचयन
(घ) चैनल प्रतिचयन
(ड.) प्रपुंज प्रतिचयन
(च) पंक्ति अंतरालन नमूने सहित भू रसायन ग्रिड प्रतिचयन

(ii) गड्डा या खाई बनाना
(क) गड्डों या खाइयों की संख्या और व्यास
(ख) उत्खनन की कुल मात्रा
(ग) गड्डों या खाइयों के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्र

(iii) वेधन
(क) वेध छिद्रों या कुओं की संख्या और व्यास
(ख) वेध छिद्र या कुओं का अंतरालन
(ग) प्रत्येक विधछिद्र या कुओं पर अस्थयी रूप से बाधित किए जाने वाले क्षेत्र
(घ) प्रत्येक वेधछिद्र या कुओं पर स्थायी रूप से बाधित किए जाने वाले क्षेत्र, यदि कोई है
(ड.) वेध छिद्रों या कुओं का मापन
(च) वेधन कोर नमूनों की संख्या
(छ) वेधन कोर नमूनों की संख्या

(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण

(ख) सड़कों या पथों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

6. निम्नलिखित के कारण भूमि उपयोग में अस्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र

(i) सतह प्रतिचयन :

(ii) गड्डा या खाई बनाना:

(iii) वेधन :

(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण :

(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :

कुल :

7. निम्नलिखित के लिए भूमि उपयोग में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन क्षेत्र

(i) सतह प्रतिचयन :

(ii) गड्डा या खाई बनाना :

(iii) वेधन :

(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण :

(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :

कुल :

8. पूर्वेक्षण के लिए विनियोजित होने के लिए मशीनरी या उपस्करों के ब्यौरे–

क0सं0	उपस्कर या मशीनरी का नाम	कर्षण का ढंग	आकार (एलX बी X एच)	प्राक्कलित विनियोजन (मशीनी घंटे)	अधिकतम शोर स्तर (डेसिबल)

9. वन भूमि में उपस्कर या मशीनों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित विद्यमान पथों या सड़कों का ब्यौरा।

10. पूर्वेक्षण के लिए विनियोजित होने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की वन भूमि में रुकने की लगभग संख्या और लगभग अवधि।

11. पूर्वेक्षण के दौरान संगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित अयस्क और अन्य नमूनों की प्राक्कलित मात्रा का सारांश (जलीय कार्बन सैक्टर के लिए लागू नहीं)

क्र0 सं0	नमूनों के ब्यौरे	संगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित मात्रा (मीट्रिक टन)

12. खनिज आरक्षण निर्धारण के लिए प्राक्कलित शुद्धता और आश्वस्त स्तर:

13 यदि वेध किए जाने के लिए प्रस्तावित वेधन छिद्रों की संख्या निम्नलिखित के द्वारा कम की जाती है तो प्राक्कलित शुद्धता और आश्वस्त स्तर

		शुद्धता:	स्तर()
(i)	(10:)		
(ii)	(20:)		
(iii)	(30:)		
(iv)	(40:)		
(v)	(50:)		

14. यदि पूर्वेक्षण या अतिरिक्त वेध छिद्रों के वेधन के लिए मंजूर की गई अनुज्ञा की अवधि के विस्तार हेतु प्रस्ताव है, कृपया निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी दें :–

(i) पूर्व में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन दिए गए अनुमोदन के ब्यौरे

क्रम सं0	दिए गए अनुमोदन की संख्या और तारीख	पूर्वेक्षण (एच ए) के लिए अनुज्ञात वन भूमि का क्षेत्र	अनुमोदन की विधिमान्य अवधि
		से	तक

(ii) पूर्व में दिए गए अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन की प्रास्थिति पर रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)

(iii) उल्लंघन (नों), यदि कोई, किया है, के ब्यौरे।

(iv) पूर्वक्षण के लिए दी गई अनुज्ञा के विस्तार के लिए न्यायोचितता।

(v) अभी तक किए गए पूर्वेक्षण कियाकलापों और संगृहीत नमूनों के ब्यौरे।

15. संलग्न दस्तावेजों के ब्यौरे–

तारीख:

स्थान:

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैण

हस्ताक्षर

दुर्गा प्रसाद कपरूवांण,
रा०उ०निरीक्षक,
तहसील..
जनपद चमोली

तहसीलदार
गैरसैण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

प्रस्ताव की राज्य कमांक सं0...........

(प्राप्ति की तारीख सहित नोडल अधिकारी द्वारा भराजाए)

प्रारुप—5

परियोजना का नाम :— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण—पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर पृष्ठ सं0 ....15........संलग्न है।

कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण	सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड थराली

मा0मुख्यमंत्री घोषणा (5)
सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध

उत्तराखण्ड शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4
(घोषणा अनुभाग)
सं0 —— /XXXV-4 घो0 /2017
देहरादून, दिनांक:२५ -7-2017

प्रमुख सचिव,
सिंचाई,
उत्तराखण्ड शासन।

YEAR (2015-16)
DEPARTMENT NO. XV-2
REGISTER ...
DATE 02-8-2017

मा0मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनाँक 21-Jul-2017 को जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग हेतु निम्न घोषणा की गयी है:-

घोषणा संख्या एवं विभाग	घोषणा का विवरण
281/2017 सिंचाई	गैरसैंण में झील का निर्माण कर पेयजल की समस्या का समाधान किया जायेगा।

2- यह अनुरोध है कि उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का शासनादेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें,ताकि वस्तुस्थिति से मा० मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जा सके।

(सुधीर कुमार चौधरी)
अनु सचिव।

सं0 84(10) (1)/XXXV-4 घो0/तददिनाँक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2- अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, देहरादून।
4- जिलाधिकारी, चमोली।

आज्ञा से,
(सुधीर कुमार चौधरी)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner

सं0–1154/ 2018(2)–11–03(03)/2017

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक, 16 जनवरी, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सैक्टर की डी0पी0आर0 निर्माण मद के अन्तर्गत योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 1731/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1 (योजना), दिनांक 29 मई, 2017 एंव पत्र संख्या 3212/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी–27 (जलाशय), दिनांक 20 सितम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर की डी0पी0आर0 निर्माण मद के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार योजनाओं की विभागीय टीएसी द्वारा संस्तुत कुल लागत रू0 315.93 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजनाओं पर व्यय हेतु रू0 119.43 लाख (रू0 एक करोड़ उन्नीस लाख तैंतालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु Uttarakhand Procurement Rules, 2017 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(xi) कार्यों के पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(xii) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xiii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(xiv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0–31.03.2018 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xv) विषयगत आगणन का पुनः किसी भी दशा में पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2700-मुख्य सिंचाई -80-सामान्य- 005-सर्वेक्षण तथा अन्वेषण-02- डी0पी0आर0 निर्माण (2700-80-800-09 से स्थानान्तरित)-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 467/XXVII(2)/2018, दिनांक, 05 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1154(1)/2018(2)-03(03)/2017तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी-1/105, इन्दिरानगर, दे0दून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
12. सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या 1154 / 2018(2)-II-03(03)/2017, दिनांक 16 जनवरी दिसम्बर, 2018 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना	विभागीय टीएसी द्वारा संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवमुक्त हेतु प्रस्तावित
1	Preparation of DPR Barrage /Jalashay at Kherasain in Ekeshwar Block of Pauri Garhwal. (घोषणा सख्या 6/2017)	48.31	19.30
2	Preparation of DPR Artifical Lwali lake in Pauri Block of Pauri Garhwal (घोषणा संया 809/2017)	60.36	24.00
3	Preparation of DPR for construction of Lake/Reservior at Sakmunda Gadera in Jaiharikhal Block of District Pauri Garhwal (घोषणा सख्या 30/2017)	28.80	11.50
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	Preparation of DPR Weir/Jalashay at Paithani in Thalisain Block of Pauri Garhwal.	30.56	12.00
6	Preparation of DPR Weir/Barrage at Syunsi in Birokhal Block of Pauri Garhwal.	27.28	10.50
7	Preparation of DPR Weir/Jalashay at Papadtol in Pabou Block of Pauri Garhwal.	23.78	9.50
8	Preparation of DPR Weir/Jalashay at Markhola in Thalisain Block of Pauri Garhwal.	20.27	8.00
9	Preparation of DPR Barrage /Jalashay at Satpuli in Market in Ekeshwar Block of Pauri Garhwal	27.28	10.50
10	Preparation of DPR water Reservoir under river Rejuvenation works at Thal River (Yamkeshwar) of Pauri Garhwal	24.53	4.23
	Total	315.93	119.43

(रू0 एक करोड़ उन्नीस लाख तैंतालिस हजार मात्र)

अनुभाग अधिकारी
सिंचाई अनुभाग-2
उत्तराखण्ड शासन।

प्रारुप–6

परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनाँक 05/09/2020 को सिंचाई खण्ड थराली के द्वारा गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयवुत्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री अमर सिंह नेगी वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री दुर्गा प्रसाद कपरवाण रा॰उ॰नि॰ प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मोनू कुमार अपर सहायक अभियन्ता, सुशील सिंह कनिष्ठ अभियन्ता जल निगम की ओर से श्री महेन्द्र कुमार तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में श्री प्रेम सिंह ग्राम प्रधान मरोड़ा के द्वारा पश्नगत परियोजना को बनाने हेत ु सवर्श्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयवुत्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयवुत्त पाया गया है कुल 0.00 हे0 नाप भूमि 0.00 हे0 सिविल भूमि 4.95 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.95 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी । इस चुने गये स्थल पर लगभग 955 वक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियाजेना के निमार्ण से प्रभावित होंगे,जिनमें से 218 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।

परियोजना के निमार्ण हेत ु चयनित स्थल के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयवुत्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान **30° 3' 53.8" N 79° 16' 56.11" E** .है तथा अन्तिम स्थल का GPS मान **30° 3' 53.8" N 79° 16' 56.11" E** है।

चयनित उपयवुत्त स्थल/समरखेण किसी राष्टीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है। चयनित उपयवुत्त स्थल/समरखेण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा।

इस समरखेण पर. बाँध के निमार्ण के दौरान जो मलवा उत्सजिर्त होगा उसके निस्तारण हेतु....निम्न स्थल उपयवुत्त पाये गये हैं जिनका GPS मान निम्न हैं।

1- 30° 3' 34.41" N 79° 16' 59.7" E

2- 30° 3' 38.5" N 79° 16' 53.91" E

3- 30° 3' 46.2" N 79° 17' 0.5" E

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है। (अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)। प्रस्तावित परियोजना का निर्माण अति पिछडे क्षेत्र के विकास हेतु पेयजल आपूर्ति कराने के लिए किया जाना अति आवश्यक है।

अन्य आवश्यक विवरण ....

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

दुर्गा प्रसाद कफल्टवाण
राजस्व निरीक्षक
तहसील गैरसैंण
जनपद चमोली

तहसीलदार
तहसीलदार
गैरसैंण

उप जिलाधिकारी
गैरसैंण
उप जिलाधिकारी
गैरसैंण
जनपद -चमोली

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा रेंज/वन क्षेत्र गैरसैंण

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन प्रभाग, गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर

माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत गैरसैंण शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बांध निर्माण के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले वृक्षों की ... सूची।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण वर्ष 2020–21

पत्रांक सख्या 540/12–1/दिनांक 04.08.2018 के कम मे प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना सख्या 784 एवं पत्रांक संख्या 1733/12–1 दिनांक 17.10.2020 के कम मे प्रभावित होने वाले वृक्षों की पुनः गणना सख्या 171 है । कुल प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 784+171 = 955 है।

क0स0	क्षेत्र का नाम	वृक्ष प्रजाति	व्यास वर्ग							संख्या
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	
1	नैल लग्गा फरकण्डे वन पंचायत	चीड़	27	55	58	35	19	2	1	197
		बांज	70	37	8	2	-	-	-	117
		काफल	53	51	11	-	-	-	-	115
		बुरांश	11	3	-	-	-	-	-	14
		सुरई	2	2	2	1	-	-	-	7
		उतीस	6	4	2	1	3	1	-	17
		अयार	14	-	2	3	1	-	-	20
		कुकाट	36	5	1	1	-	-	-	43
		तिलोज	-	-	-	-	1	-	-	1
		भमोरा	-	-	1	-	-	-	-	1
		मेहल	3	-	-	-	-	-	-	3
		फल्याट	-	2	-	-	-	-	-	2
2	तल गॉव वन पंचायत	चीड	34	78	102	25	2	-	-	241
		काफल	26	10	1	-	-	-	-	37
		बांज	66	27	8	-	-	-	-	101
		मेहल	15	1	1	-	-	-	-	17
		देवदार	2	3	4	-	-	-	-	9
		सुरई	1	1	-	-	-	-	-	2
		अकेशिया	5	-	2	-	-	-	-	7
		उतीस	-	-	-	3	1	-	-	4
			371	279	203	71	27	3	1	955

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

दुर्गा प्रसाद कपरूवाण
रा0उ0निरीक्षक (स0)
तहसील ...

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

(अमर सिंह नेगी)
वन दरोगा
...

SITE INSPECTION REPORT
NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA 1980)

A proposal has been received by this office from Exceutive Engineer Irrigation Division Tharali for diversion (under FCA 1980) of **4.95 Ha.** of Forest land for non-forestry purpose. The project envisages transfer of Forest land for the Construction of dam across ramganga river for drinking water supply of gairsain town and adjoining population in district chamoli.
I have carried out the site inspection of the land required on date 04/09/2021
On inspection of the site, it is found that the land required by the User Agency is a forest area measuring **4.95Hectare.**

The requirement of Forest Land as proposed by the User Agency in Column no.-2 of Part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. - yes

There are no rare / endangered / unique Species of Flora and Fauna found in the area- No

There are no Archaeological / heritage site / defined establishment or any other important Monument located in the area-No

The User Agency has not violated the provision of Forest Conservation Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.

Recommended in public interest.

Place-...Gopeshwar
Date 04-09-2021

(Signature)

Name Dr. Amit Kanwar
Designation
Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

प्रारुप–8

जना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ंख्या–8 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ सर्वे आफ इण्डिया के 1:50,000 पैमाने की टोपोशीट रियोजना को लाल रंग से प्रदर्शित किया जाना है, तथा आस–पास की विभिन्न प्रकार की भूमि को 2 निर्धारित रंगों से प्रदर्शित किया जाना है तथा इनका विवरण संकेत तालिका में भी अनिवार्य रूप से किया जाय। निर्धारित रंगों का विवरण निम्नानुसार है। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण के प्रकरणों में में विद्यमान सड़कों का नेटवर्क तथा प्रस्तावित मार्ग जिस पूर्व निर्मित मार्ग से प्रारम्भ हो रहा है, को भी ार्य रूप से अंकित किया जाय।

क्षित वन भूमि को हरे रंग से।
ल एवं सोयम भूमि को पीले रंग से।
पंचायत भूमि को नीले रंग से।
ित वन भूमि को भूरे रंग से।
भूमि को अन्य किसी रंग से।

मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने

डिजिटल मैपः- मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अंतर्गत विकासखंड गैरसैंण में प्रस्तावित बाँध हेतु

Toposheet No: 53N/08

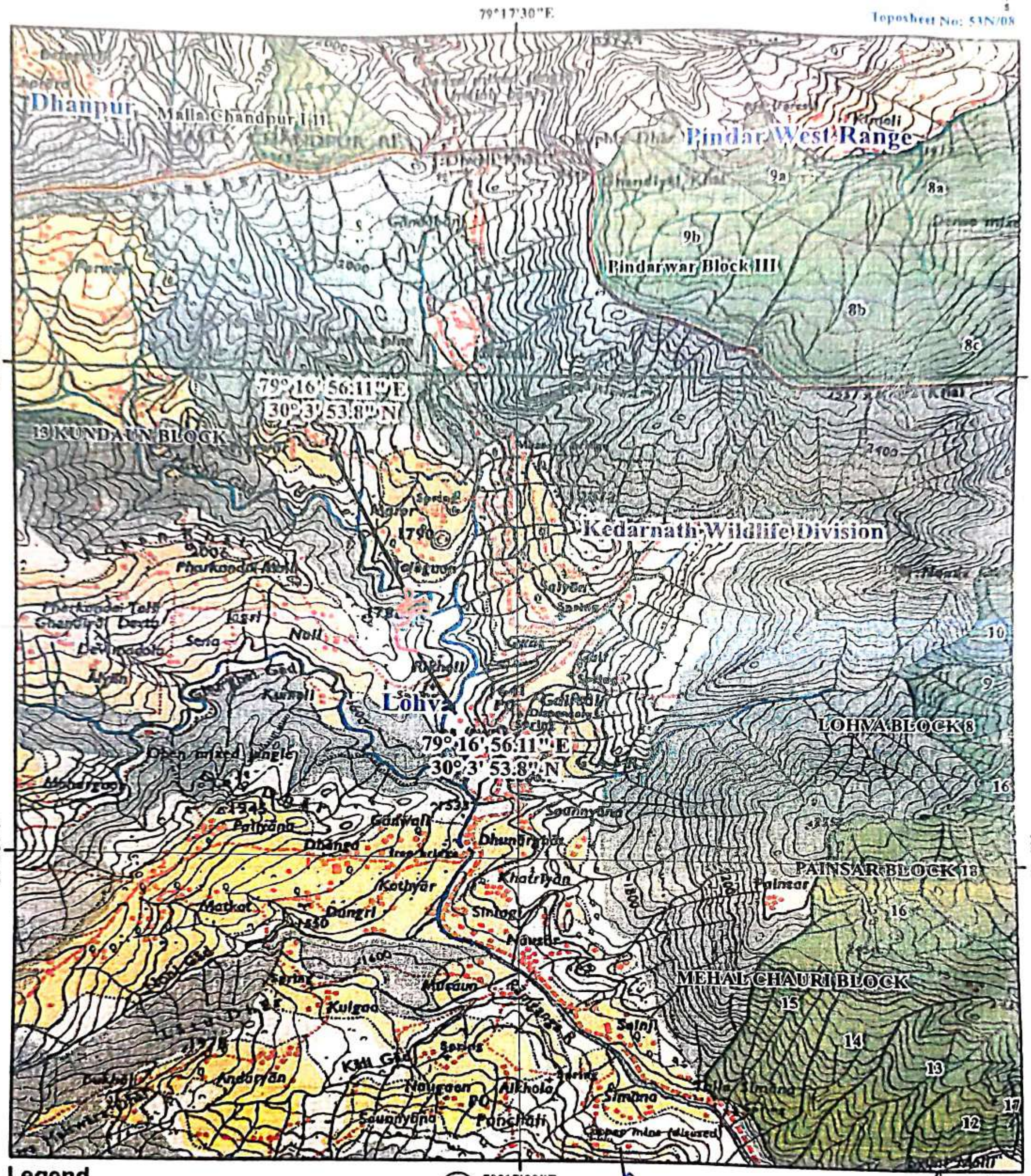

Legend

- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Proposed Road
- Proposed Dam

Scale-1:50,000

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

दुर्गा प्रसाद कपरवाण
रा०उ०निरीक्षक
तहसील...
जनपद चमोली

उप जिलाधिकारी
गैरसैंण
जनपद -चमोली

जिला अधिकारी
चमोली

Assistant Engineer
Irrigation Sub Division
Gairsain (Chamoli)

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा वन क्षेत्र गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

प्रारुप–9

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रपत्र संख्या–9 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ सर्वे आफ इण्डिया के 1:50,000 पैमाने के डिजिटल मानचित्र पर परियोजना को प्रदर्शित करते हुए जी0पी0एस0 रीडिंग अंकित की जानी है व प्रपत्र संख्या–8 की सूचनाऐं भी सम्मिलित की जानी हैं।

(इस डिजिटल मानचित्र में मानचित्र कर्ता सहित प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

Digital Map of Construction of Dam Across Ramganga River for Drinking Water Supply of Gairsain Town and Adjoining Population in District Chamoli

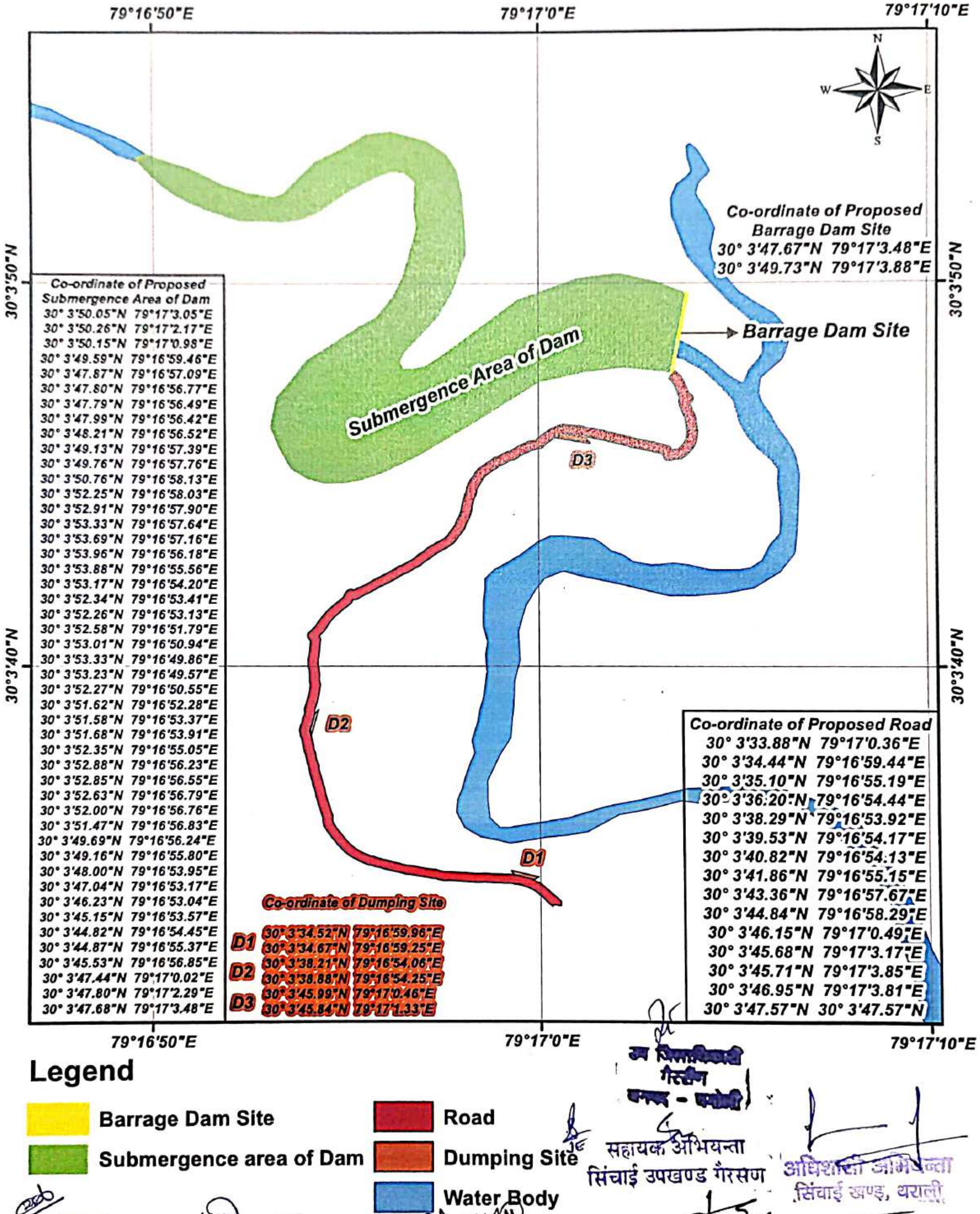

गैरसैण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, थराली

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा वन क्षेत्र गैरसैण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

प्रारुप–10

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रपत्र संख्या–10 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ गूगल मानचित्र ¼.kml file में) पर प्रस्तावित परियोजना को प्रदर्शित किया जाना है तथा प्रस्तावित संरेखण की जी0पी0एस0 रीडिंग भी अंकित की जानी है।

(इस गूगल मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

Importance of the project

Name of work :- CONSTRUCTION OF DAM ACROSS RAMGANGA RIVER FOR DRINKING WATER SUPPLY OF GAIRSAIN TOWN AND ADJOINING POPULATION IN DISTRICT CHAMOLI

The above mentioned work is proposed in district Chamoli block Gairsain of Uttrakhand state. This work consists of construction of reservoir and approach road (1.10 km). The reservoir is proposed to be constructed 120.00 m upstream of foot over bridge behind Government Polytecnic College Gairsain.

Proposed reservoir will fulfill the need of drinking water to the population (approx. 15763) living in Gairsain town and nearby areas. Presently Gairsain town and nearby area is facing severe scarcity of drinking water. The area is deprived & backward. There main occupation is agriculture & hand craft. The construction of reservoir for drinking water is the Principal demand & requirement for them since long.

Economical aspect:- As the Gairsain is the proposed capital of Uttarakhand, there are several government, private and commertial organizations like hotels, automobile service stations, colleges, hospitals, small scale industries, vidhan sabha bhavan etc are established but there is the scarcity of drinking water which hinders the growth of the above in this area.

Other Developmental aspects :-In the lack of the drinking water the government planning for the several welfare and development schemes for the people but in the scarcity of drinking water the local people are compelled to migrate to the other places. If the drinking water will be there, the proper functioning of every department like block development, district administration, electricity, water supply, health will be easier and frequent.Thus the villagers will be benefited to full extant.

Health and education:-In the lack of good quality drinking water people health conditions is also not good. In the search of drinking water the people have to go long for their needs of water. There is also a large sum of money which the government has to invest during the summer season when the water has to be supplied through tankers of jal sansthan.

Similar is the case of education many children have to migrate to nearby town school because of non availability of drinking water. On the other hand their time for study consumes in fetching the water from long distances.

Agriculture devlopment activities:- Agriculture development facilities will also be increased, as the cultivable fields will get water for irrigation purpose which will also led to the growth of the local people of the area.

Tourist activity:-Tourist activity shell be increased & by the way the govt. will get more

Details of the Land required for the project

Reserved Forest	-	-
Van panchayat land		4.95 Hec
Civil Land		0.00 Hec
Nap Land		0.00 Hec
Total Land		**4.95 Hec**

In the light of above facts & in public interest above mentioned forest area kindly transferd for reservoir and approach road construction please.

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

प्रारुप–12

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रपत्र संख्या–14 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ गूगल मानचित्र (kml file में) पर प्रस्तावित कार्य का विवरण तथा वैकल्पिक संरेखण/स्थल को प्रदर्शित किया जाना है तथा प्रस्तावित संरेखण एवं वैकल्पिक संरेखण की जी0पी0एस0 रीडिंग भी अंकित की जानी है।

(इस गूगल मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

COMPARISON OF SITE NO. 1 & 2

SR. NO.	PARTICULARS	SITE NO. 1 (i.e. D/S OF GOVT. POLYTECHNIC COLLEGE GAIRSAIN)	SITE NO. 2 (i.e. U/S OF GOVT. POLYTECHNIC COLLEGE GAIRSAIN)	REMARK
1	Valley width at river bed	20.00 M	8.00 M	Cost of construction will be less in site no 2 as compared to site no 1
2	River bank condition	Hard rock is not exposed on any bank of the river	Hard rock is exposed on both banks of the river	-
3	River bed condition	Heavy over-burden river bed material consisting of heavy boulders is present therefore the bed rock would be available at greater depth	No over-burden river bed material and bed rock is exposed on the surface	i) Site no. 2 – no need of deep foundation ii) Site no. 1– may require deep foundation
4	Contamination	Contamination from the municipal solid waste	No any contamination from the municipal solid waste	Quality of water available for drinking purpose at site no 2 is better as compared to site no 1.
5	Geological aspect	Not suitable for the construction of reservoir as fissured weak rock is present	Suitable for the construction of reservoir as granite rock is present	Prof. M.P.S. Bisht, Director, Uttarakhand Space Application Center, Dehradun has recommended site no 2 for reservoir construction
6	Availability of space for water treatment plant and muck disposal	Not sufficient space available in nearby area.	Sufficient space available nearly 150 m d/s of the site on the right bank of river	-
7	Lift	High lift required	Low lift required	Less energy consumption
8	Rehabilitation	Rehabilitation required	Rehabilitation not required	-
9	Connectivity	Approach road of approx. 300 m length is required	Approach road of approx. 1400 m length is required	-

Considering above points, site no 2 is more suitable as compared to site no 1.

JE
Assistant Engineer
Irrigation Sub Division
Gairsain (Chamoli)

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

दुर्गा प्रसाद कपरूवाण
रा०उ०निरीक्षक
तहसील ...
जनपद चमोली

तहसीलदार
गैरसैंण

Name of the Work- Construction of Dam Across Ramganga River For Drinking Water Supply of Gairsain Town and adjoining population in District Chamoli

Comparison between identified alignment of approach road

S. No.	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	Topography	Mountainous	Mountainous
2	Length of Road	1.300 km	1.500 km
3	Bridging requirement No. and Length	Nil	Nil
4	Geometric		
	(a) Gradients	01:20	01:20
	(b) Curves, H.P Bends	00 numbers of H.P. Bends	02 numbers of H.P. Bends
5	Existing Means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.	By mule path	By mule path
6	Right of way, bringing out. construction on account of built up areas, monuments and other structures.	Right of way is available for carrying out the construction work. There are no built up area, monuments or other important structures along this alignment	Right of way is available for carrying out the construction work. There are no built up area, monuments or other important structures along this alignment
	(a) Terrain & Soil Condition.	The terrain is hilly and the soil is a mix of Earth and Boulders, Soft Rock and Hard Rock.	The terrain is hilly and the soil is a mix of Earth and Boulders, Soft Rock and Hard Rock.
	(i) Cliffs and gorges.	(i) None	(i) None
7	(ii) Drainage characteristics of the area including susceptibility to flooding.	(ii) The natural Drainage characteristics of the area is good and there is no susceptibility to flooding	(ii) The natural Drainage characteristics of the area is good and there is no susceptibility to flooding.

S. No.	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
	(iii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and descends.	(iii) The General elevation of the road is 1590 m. The elevation at the starting point of the road is 1585 m and the elevation at the end point of the road is 1594 m.	(iii) The General elevation of the road is 1610 m. The elevation at the starting point of the road is 1623 m and the elevation at the end point of the road is 1594 m.
	(iv) Variations extant and types.	50/ 100 (Attached after comprative)	50/100 (Attached after comprative)
8	Climate Condition:		
	(a) Temperature Monthly max. & min. reading.	(a) Temperature Monthly max. & min. reading (Avg. data of 12 years)	(a) Temperature Monthly max. & min. reading (Avg. data of 12 years)

Month	Temperature (in ^0C)		Month	Temperature (in ^0C)	
	Max.	Min.		Max.	Min.
January	18	-1	January	18	-1
Feb.	22	7	Feb.	22	7
March	27	13	March	27	13
April	33	18	April	33	18
May	35	20	May	35	20
June	32	21	June	32	21
July	31	21	July	31	21
August	30	23	August	30	23
September	30	21	September	30	21
October	29	17	October	29	17
November	26	12	November	26	12
December	21	-1	December	21	-1

S. No.	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
	(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) .	(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution	(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution

Month	Average Rainfall Data (in mm)	Month	Average Rainfall Data (in mm)
January	21	January	21
Feb.	7	Feb.	7
March	32	March	32
April	36	April	36

S. No.	Variables	Alignment No-1		Alignment No-2	
		May	89	May	89
		June	194	June	194
		July	302	July	302
		August	264	August	264
		September	189	September	189
		October	2	October	2
		November	2	November	2
		December	23	December	23
	(c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) .	(c) Snowfall occurs in the month of December and January upto 30 cm in depth on an average.		(c) Snowfall occurs in the month of December and January upto 30 cm in depth on an average.	
	(d) Wind direction and velocities.	(d) Owing to the nature of terrain local affect are pronounced and when the general prevailing winds not too strong to mask these effect, there is a tendency for diurnal reversal of winds, the flow being anabatic during the day and katabatic at night, the latter being of considerable force.		(d) Owing to the nature of terrain local affect are pronounced and when the general prevailing winds not too strong to mask these effect, there is a tendency for diurnal reversal of winds, the flow being anabatic during the day and katabatic at night, the latter being of considerable force.	
	(e) Fog Condition.	(e) Generally there are no fog conditions in the area. However, during the month of December and January, slight foggy conditions prevail during night, with clear sky in the day.		(e) Generally there are no fog conditions in the area. However, during the month of December and January, slight foggy conditions prevail during night, with clear sky in the day.	
	(f) Exposure to sun.	(f) The site is exposed to sun throughout the year.		(f) The site is exposed to sun throughout the year.	
	(g) Unusual weather condition like cloud burst etc.	(g) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.		(g) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	
	Facilities resources.				
	(a) Landing ground.	(a) None		(a) None	

S. No.	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
9	(b) Dropping Zone.	(b) None	(b) None
	(c) Food stuffs.	(c) *Haldi, Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo* etc.	(c) *Haldi, Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo* etc.
	(d) Labour local availability and need for import.	(d) Local labour is available for construction work.	(d) Local labour is available for construction work.
	(e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, Stone, Shingle etc. extent of their availability and lead involved.	(e) Stone required for the construction work shall be made available locally as it shall be obtained from hill side cutting. However, sand required for the construction work shall be procured from the approved quarry with a distance of 40 km.	(e) Stone required for the construction work shall be made available locally as it shall be obtained from hill side cutting. However, sand required for the construction work shall be procured from the approved quarry with a distance of 40 km.
10	Value of land, agricultural land, Irrigated land, built up land, forest land etc,	Value of the land required for the construction of the road in this alignment is as under-	Value of the land required for the construction of the road in this alignment is as under-
		Van panchayat land, 4.950 hectare @ Rs..584.00/sqm=Rs..............	Van panchayat land, 5.50 hectare @ Rs..584.00/sqm= Rs.................
		Thus total value of land = Rs. ...28908000.00	Thus total value of land = Rs. 32120000.00
11	Approximate Const. Cost.	Rs. 6535.64 lacs	Rs. 7000.00 lacs
12	Access point indicating possibility of induction of equipment.	Access point available for induction of equipment	Access point available for induction of equipment
13	Period required for construction.	24 months	24 months
14	Strategic Consideration.	Deployment of skilled manpower and efficient equipment / machinery shall be made for completion of the project.	Deployment of skilled manpower and efficient equipment / machinery shall be made for completion of the project.

S. No.	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
15	Important villages, towns and markets centers to be connected.	The road shall provide connectivity to proposed Dam.	The road shall provide connectivity to proposed Dam.
16	Recreational potential.	Nil	Nil
17	Economic Factors:		
	(a) Population served by the alignment.	(a) 251 numbers	(a) 251 numbers
	(b) Agricultures and economic potential of the area.	(b)Water will be supplied to cultivations by gravitational means (i.e.. Through channel) shall enhance the economical condition of the people residing in this area. Potential of the development of pisciculture in lake and tourism also.	(b)Water will be supplied to cultivations by gravitational means (i.e.. Through channel) shall enhance the economical condition of the people residing in this area. Potential of the development of pisciculture in lake and tourism also.
18	Other major development projects being taken up electric projects etc.	None	None
19	(i) Misc. Such as camping sites	(i) Camping sites to be located along the alignment of the road.	(i) Camping sites to be located along the alignment of the road.
	(ii) Law and other problem	(ii) There is no significant law and order problem in the area and the local administration takes care of such matters.	(ii) There is no significant law and order problem in the area and the local administration takes care of such matters.
	(iii) Royalty	(iii) Royalty is paid to the Revenue Department.	(iii) Royalty is paid to the Revenue Department.
	(iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material	(iv) Available	(iv) Available
	(v) Working period available for construction of work.	(v) 09 months in a year	(v) 09 months in a year

S. No.	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
20	Total No. of trees to be removed .	955 numbers	Approximately 1100 numbers.
21	Average Density of forest cover .	-	-
22	Total No. of Merits	-	-
23	Total No. of Demerits	-	-

RECOMMENDATIONS:

Alignment no. -1 is Recommended for approval being more economical, useful & technically

J.E.

A.E.
Assistant Engineer
Irrigation Sub Division
Gairsain (Chamoli)

E.E.
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, थराली

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैण

दुर्गा प्रसाद कपरवाण,
रा०उ०निरीक्षक
तहसील.. ..
जनपद चमोली

तहसीलदार
गैरसैण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

प्रारुप--14

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बॉध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 4.65 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

प्रभारीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर, चमोली।

जिला अधिकारी
जिलाधिकारी
चमोली।

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

दुर्गा प्रसाद कपरवाण,
रा०उ०निरीक्षक
तहसील..........
जनपद चमोली

तहसीलदार
गैरसैंण

उप जिलाधिकारी
गैरसैंण
जनपद -चमोली

प्रारुप–15

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लैन्ड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे0)
चमोली			(शून्य)			

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर, चमोली।

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र गैरसैंण

दुर्गा प्रसाद कपरूवाण
रा0उ0निरीक्षक
तहसील..
जनपद चमोली

तहसीलदार
गैरसैंण

उप जिलाधिकारी
गैरसैंण
जनपद -चमोली

प्रारुप—15.1

परियोजना का नाम :— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 है0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लैन्ड शेड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है।)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	ग्राम		परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है0)
सिविल एवं सोयम	चमोली	गैरसैंण	गैरसैंण		—	—	—	—
वन पंचायत	चमोली	गैरसैंण	गैरसैंण	नैल लगा फरकण्डे एवं तलगांव	बांध	82	62	0.50
					बांध का डूब क्षेत्र	836	41	3.43
					संपर्क मार्ग	1100	7	0.77
					डम्पिंग जोन	100	22	0.22
					विविध	20	15	0.03
						योग		4.95
योग वन भूमि	चमोली	गैरसैंण	गैरसैंण		—	—	—	4.95
नाप भूमि	चमोली	गैरसैंण	गैरसैंण		—	—	—	—
कुल योग								**4.95**

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

दुर्गा प्रसाद कपरुवाँण
रा0उ0निरीक्षक
तहसील.. ..
जनपद चमोली

तहसीलदार
गैरसैंण

उप जिलाधिकारी
गैरसैंण
जनपद -चमोली

जिला अधिकारी
चमोली

नकल खसरा ग्राम मैल ली फरकांडे राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गैरसैंण तहसील गैरसैंण जनपद चमोली।

ख0 नं0	रकबा	ख0 खाता संख्या	खातेदार का नाम/पिता/पति का नाम	काबिज का नाम	सि0 का साधन	खरीफ			रबी			जायद			दो फसली				विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1283	6.650	6	कौमीनल फोरेस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

30 । राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गैरसैंण तहसील जनपद चमोली

नकल खसरा ग्राम-तलगांव खा: उ. मि. खेत गैरसैंण तहसील [illegible] जनपद चमोली

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	12745	2	30 ख. स.	जंगल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

नोट :- नकल खसरा असल से तैयार किया गया है।

C-S

18/07/2019

(मनोज कार्की)
रा0उ0नि0 गैरसैंण
तहसील गैरसैंण, जिला-चमोली

१२।२१

ग्राम का नाम रिखोली रा. उप. नि. थैल-गैरसैंण तहसील गैरसैंण जिला चमोली

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.672	10	उ० स्व० स्व०														क्र 3.672			

नोट:- नकल खसरा असल से तैयार किया गया है।

C.S

18/03/2019
(मनोज कार्की)
रा०उ०नि०/प्रभारी, तहसील गैरसैंण
तहसील गैरसैंण, जिला चमोली
गैरसैंण

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण।

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे0 में)
1	आरक्षित वन भूमि	–	–	–
2	सिविल सोयम भूमि	–	–	–
3	वन पंचायत भूमि	82	62	0.50
		836	41	3.43
		1100	7	0.77
		100	22	0.22
		20	15	0.03
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	–	–	–
	वन भूमि का योग	–	–	4.95
5	नाप भूमि	–	–	
	कुल योग–	–	–	**4.95 हे0**

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

दुर्गा प्रसाद कपरूवाण
रा0उ0निरीक्षक
तहसील.. ..
जनपद चमोली

तहसीलदार
गैरसैंण

उप जिलाधिकारी
गैरसैंण
जनपद –चमोली

<u>प्रारुप–17</u>

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

<u>बारचार्ट</u> (संलग्न)

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर, चमोली

दुर्गा प्रसाद कपरवाण
रा0उ0निरीक्षक
तहसील.. ..
जनपद चमोली

BAR CHART

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Land Length in Meter	1100	800
Land Detail With Colour Symbol	V.P	V.P
Name of Village	Nail laga Farkande	Talgaun

संकेतांक	भूमि का प्रकार
R.F.	आरक्षित वन भूमि
C.S.	सिविल सोयम भूमि
V.P	वन पंचायत भूमि
N	नाप भूमि

कुल आरक्षित भूमि	0.00	हे0
कुल सिविल सोयम भूमि	0.00	हे0
कुल वन पंचायत भूमि	4.95	हे0
कुल नाप भूमि	0.00	हे0
कुल भूमि	**4.95**	हे0

हस्तान्तरण हेतु आवेदित वन भूमि 4.95 हे0

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

JE

Assistant Engineer
Irrigation Sub Division
Gairsain (Chamoli)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, थराली

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

दुर्गा प्रसाद
रा0उ0निरीक्षक
तहसील..
जनपद

कपरूवांण तहसीलदार
गैरसैंण

परियोजना का नाम :-- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा वन क्षेत्र गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर, चमोली

दुर्गा प्रसाद कपरूवांण
रा0उ0निरीक्षक
तहसील...
जनपद चमोली

तहसीलदार
गैरसैंण

प्रारुप--19

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 है0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक / / को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार / प्रजातिवार / व्यास वार विवरण।

क्रसं	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेन्ट / खसरा	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग							
					0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	योग
1	वन पंचायत भूमि	नेल लगा फरकण्डे	उत्तीस		6	4	2	1	3	1	-	17
			चीड़	*Pinus roxburhhii Sargnt*	27	55	58	35	19	2	1	197
			बांज	*Quercus glaucaThunb*	70	37	8	2	-	-	-	117
			बुरांश	*Rhododendron arboreum*	11	3	-	-	-	-	-	14
			अंग्यार	*lyoni Ovalifolia(well Drud)*	14	-	2	3	1	-	-	20
			सुरई		2	2	2	1	-	-	-	7
			काफल	*Pinus roxburhhii Sargnt*	53	51	11	-	-	-	-	115
			कुकाट		36	5	1	1	-	-	-	43
			भमोरा		-	-	1	-	-	-	-	1
			तिलोज		-	-	-	-	1	-	-	1
			मेहल		3	-	-	-	-	-	-	3
			फल्याट		-	2	-	-	-	-	-	2
				कुल योग	222	159	85	43	24	3	1	537
2	वन पंचायत भूमि	तलगांव	चीड़	*Pinus roxburhhii Sargnt*	34	78	102	25	2	-	-	241
			बांज	*Quercus glaucaThunb*	66	27	8	-	-	-	-	101
			काफल	*Pinus roxburhhii Sargnt*	26	10	1	-	-	-	-	37
			सुरई		1	1	-	-	-	-	-	2
			देवदार		2	3	4	-	-	-	-	9
			अकेशिया		5	-	2	-	-	-	-	7
			उत्तीस		-	-	-	3	1	-	-	4
			मेहल		15	1	1	-	-	-	-	17
				कुल योग	149	120	118	28	3	0	0	418
				कुल महा योग	371	279	203	71	27	3	1	955

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा वनक्षेत्र गैरसैंण

दुर्गा प्रसाद कपरवाण
रा0उ0निरीक्षक
तहसील.. ..
जनपद चमोली

तहसीलदार
गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

प्रारुप–20

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन

(संलग्न)

जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण में [illegible] कार्य स्थल के [illegible] में मोटर मार्ग एवं [illegible] निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की पूरक सूची केदारनाथ
वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर   लोहबा वन क्षेत्र गैरसैंण

क्र०सं०	नाम क्षेत्र	वृक्ष प्रजाति	वृक्ष का व्यास	संख्या	दर/	कुल धनराशि
1	[illegible] वन पंचायत	चीड	0-10	27	113	3051
			10-20	55	303	16665
			20-30	58	757	43906
			30-40	35	2942	102970
			40-50	19	6401	121619
			50-60	2	10613	21226
			60-70	1	16665	16665
2		बांज	0-10	70	63	4410
			10-20	37	183	6771
			20-30	8	284	2272
			30-40	2	613	1226
3		काफल	0-10	53	63	3339
			10-20	51	101	5151
			20-30	11	202	2222
4		बुरांश	0-10	11	61	671
			10-20	3	101	303
		सुरई	0-10	2	94	188
			10-20	2	164	328
			20-30	2	227	454
			30-40	1	492	492
6		उतीस	0-10	6	126	756
			10-20	4	202	808
			20-30	2	417	834
			30-40	1	694	694
			40-50	3	1413	4239
			50-60	1	2777	2777
7		अयार	0-10	14	63	882
			20-30	2	202	404
			30-40	3	492	1476
			40-50	1	795	795
8		कुकाट	0-10	36	63	2268
			10-20	5	101	505
			20-30	1	202	202
			30-40	1	492	492
		तिलोज	40-50	1	1382	1382
9		भमोरा	20-30	1	202	202
10		मेहल	0-10	3	63	189
11		फल्याट	10-20	2	183	366
			योग	537	योग	373200
	तल गौव वन पंचायत					
1		चीड	0-10	34	113	3842
			10-20	78	303	23634
			20-30	102	757	77214
			30-40	25	2942	73550
			40-50	2	6401	12802
2		काफल	0-10	26	63	1638
			10-20	10	101	1010
			20-30	1	202	202
3		बांज	0-10	66	63	4158
			10-20	27	183	4941
			20-30	8	284	2272
4		मेहल	0-10	15	63	945
			10-20	1	101	101
			20-30	1	202	202
		देवदार	0-10	2	226	452
			10-20	3	663	1989
			20-30	4	1515	6060
		उतीस	30-40	3	694	2082
			40-50	1	1413	1413
5		सुरई	0-10	1	94	94
			10-20	1	164	164
		अकेशिया	0-10	5	63	315
			20-30	2	202	404
			योग	418	योग	219484
				955	महायोग	592684

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा वन क्षेत्र गैरसैंण

प्रारुप--20.1

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 है0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्र0स0	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग							योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	
1	आरक्षित वन भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-
2	वन पंचायत	371	279	203	71	27	3	1	955
3	सिविल सोयम भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-
4	नाप भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग (नाप भूमि)	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल वन योग (आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि)	371	279	203	71	27	3	1	955
	कुल प्रभावित होने वाले वृक्ष की संख्या								955

ह0
वन क्षेत्राधिकारी
राजि अधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

दुर्गा प्रसाद कण्डवाल
रा0उ0निरीक्षक
तहसील .. गैरसैंण
जनपद चमोली

तहसीलदार
गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

प्रारुप–21

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 है0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र.सं	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1	आरक्षित वन भूमि	-	-	
2	वन पंचायत	955	955	चीड़, बांज, , अंग्यार, काफल, उत्तीस, फल्याट, बुरांश व मेहल
3	सिविल सोयम	-	-	
	योग	955	955	उपरोक्तानुसार
4	नाप भूमि	-	-	
	कुल योग	955	955	उपरोक्तानुसार

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

दुर्गा प्रसाद कपरूवाण
रा0उ0निरीक्षक
तहसील.. गैरसैंण
जनपद चमोली

तहसीलदार
गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

प्रारूप — 22

परियोजना का नाम :— जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण हेतु 4.95 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण—पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.09.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :—

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक/कम्पार्टमेन्ट /खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										योग
					0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	
1.	वन पंचायत	नेल लगा फरकण्डे	बांज	Quercus leucotrichophora	70	37	08	02	—	—	—	—	—	—	117
2.		तलगांव			66	27	08	—	—	—	—	—	—	—	101
योग :—					136	64	16	02	—	—	—	—	—	—	218

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बांज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

(अनित कंवर)
निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा वन क्षेत्र गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर, चमोली

दुर्गा प्रसाद कण्डवांण
रा०उ०निरीक्षक
तहसील..
जनपद चमोली

तहसीलदार
गैरसैंण

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बॉध निर्माण कार्य के लिए 4.95 है0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 40.3 किमी0 है।

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

[illegible]
गैरसैंण

कार्यालय

"उत्तराखण्ड वन–सदैव आपके संग"

मुख्य वन संरक्षक,अनुश्रवण,मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण।

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– [illegible] /32-1-2(जी.आई.एस.) देहरादून, दिनांक: [illegible] फरवरी, 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली।

विषय :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत विकासखण्ड गैरसैंण में प्रस्तावित बांध निर्माण से प्रभावित वनभूमि हस्तांतरण हेतु आवश्यक अभिलेखों के सम्बंध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 821/सि0ख0थ0/भुगतान दिनांक 21–01–2021 एवं आपकी ई–मेल दिनांक 29.01.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपकी ई–मेल दिनांक 29.01.2021 के द्वारा प्राप्त सत्यापित केएमएल फाइल से मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत विकासखण्ड गैरसैंण में प्रस्तावित बांध निर्माण व क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मानचित्र को तैयार कर सी0डी0/ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

प्रस्तावित बांध की केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 40.[illegible] कि0मी0 GIS तकनीकी द्वारा आपके माध्यम से दी गई KML file से सन्निकट आंकलित की गई है।

संलग्नक:– सी0डी0।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 02.02.2021
उप वन संरक्षक,
अनुश्रवण,मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

पत्रांक 911 /सि0ख0थ0/ भुगतान / दिनांक :09 थराली 02 2021
प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण को सी0डी0 सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई [illegible]

प्रारुप–26

(लागू नहीं)

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू)

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना होगा।

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

तहसीलदार
गैरसैंण

प्रारुप–27 (लागू नहीं)

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति)

(नोटः–लागू होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न की जाय।)

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (संलग्न)

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गॉवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र पृष्ट संख्या............पर संलग्न है।

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप—30.3

परियोजना का नाम :— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए ~~3.50~~ 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — फरकण्डे

तहसील—गैरसैंण, जिला—चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण हेतु (—00.0— हे0 आरक्षित वन भूमि, —0.00— हे0 सिविल सोयम भूमि...0.00 हे0, वन पंचायत भूमि 4.95— हे0) अर्थात कुल 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत फरकण्डे— द्वारा दिनांक 10/01/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम —फरकण्डे—————— के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
वि0 ख0 गैरसैंण मुहर सहित
जनपद—चमोली

प्रधान ग्राम पंचायत फरकण्डे
ह0 देवा देवी
दि0........
वि0 ख0 गैरसैंण (चमोली)

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–23.1

दिनांक 10/01/2020 को ग्राम सभा की बैठक की उपस्थिति।

ग्राम सभा फरकण्डे

क0 सं0	बैठक में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	ह0/–
1	हीरासिंह फनियाल पूर्व जि० प० स०	[signature]
2	प्रेमसिंह हिंदवाल संरपन्च फरकण्डे तल्ली	[signature]
3	इन्द्रादेवी फनियाल ग्राम प्रधान फरकण्डे	इन्द्रादेवी
4	कमलादेवी अध्यक्षा महिलामंगलदल फरकण्डे	कमलादेवी
5	कीरतसिंह संरपन्च वन पंचायत फरकण्डे त०	किरतसिंह
6	हीरादेवी अध्यक्षा महिलामंगलदल नागड़ी	हीरादेवी
7	सरस्वतीदेवी आशा कार्यकर्ती फरकण्डे	सरस्वती देवी
8	इन्द्रादेवी अध्यक्षा भ० मण्डल खीलासैंण	इन्द्रा देवी
9	सुन्दरी देवी वार्डसदस्य फरकण्डे	सुन्दरी देवी
10	हिम्मत सिंह फनियाल ग्राम फरकण्डे त०	[signature]

ह0/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव [signature]
ग्राम पंचायत
मुहर गैरसैंण
वि0 ख0
जनपद–चमोली

प्रधान ग्राम पंचायत फरकण्डे
ह0 इन्द्रादेवी
दि0
वि0 ख0 गैरसैंण (चमोली)

ह0/–
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप—30.3

परियोजना का नाम :— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम —नैल——

तहसील—गैरसैंण—, जिला—चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण हेतु (—0.00— हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00—— हे0 सिविल सोयम भूमि 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि —4.95— हे0) अर्थात कुल 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत —नैल—---- द्वारा दिनांक 07/12/22 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ----नैल------- के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नैल
वि0 ख0 गैरसैंण
जनपद—चमोली

ग्राम सचिव
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत नैल चमोली
ह0
वि0 ख0 गैरसैंण (चमोली)

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप--30.4

दिनांक 07/12/2020 को ग्राम सभा की बैठक की उपस्थिति।

ग्राम सभा नैल

क0 सं0	बैठक में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	ह0/–
1	भागीरथी नेगी	[signature]
2	जहीदा बेगम	जहीदा
3	मरजीना बेगम	मरजीना
4	फरीदा बेगम [illegible]	फरीदा बेगम
5	इन्द्र सिंह नेगी –	[signature]
6	नवीन बक्स	[signature]
7	गड्डू खांन	Guddu KHAN
8	विजय प्रसाद	Vijay. dondiyal.
9	असद अल्वी	असद अल्वी
10		

ह0 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नैल
ग्राम सचिव
वि0 ख0 गैरसैंण
जनपद–चमोली

प्रधान ग्राम पंचायत नैल
ह0 ....
वि0 ख0 गैरसैंण (चमोली)

ग्राम प्रधान / सरपंच

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.98 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – मरोड़ा

तहसील– गैरसैंण, जिला– चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण हेतु (–0.00– हे0 आरक्षित वन भूमि, –0.00– हे0 सिविल सोयम भूमि 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि –4.95– हे0) अर्थात कुल 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत –मरोड़ा– द्वारा दिनांक 06/01/20.. को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम –तलगाँव (मरोड़ा)– के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
ग्राम सचिव मरोड़ा
मुहर सहित
वि0खं0 गैरसैंण
जनपद–चमोली

प्रधान ग्राम पंचायत मरोड़ा
ह0
दि0 05/09/20
वि0ख0 गैरसैंण (चमोली)

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–23.1

दिनांक 08/01/2020 को ग्राम सभा की बैठक की उपस्थिति।

ग्राम सभा मरोड़ा

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	ह0/–
1	रघुबीर सिंह	[illegible]
2	मोहनसिंह	mohansingh
3	चन्दनसिंह रावत	[illegible]
4	का॰ध्यान सिंह	[illegible]
5	अमर सिंह	अमरसिंह
6	रणजीत सिंह	[illegible]
7	तुलसा राम	तुलसराम
8	विरेन्द्र सिंह	[illegible]
9	कृपालसिंह	[illegible]
10	हीरासिंह	[illegible]

ह0 [illegible]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
वि0 खण्ड मुहर सहित
जनपद–चमोली

राजेन्द्र

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

अनापत्ति प्रमाण पत्र

दिनांक 08/01/2020 को ग्राम सभा मरोड़ा की बैठक द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मरोड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाइ विभाग को गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
वि0 खुमुहर सहित
जनपद–चमोली

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–23.1

दिनांक 08/01/2020 को ग्राम सभा की बैठक की उपस्थिति।

ग्राम सभा मरोड़ा

क0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	ह0 /–
1	सुखबीर सिंह	Singh
2	मोहनसिंह	mohansingh
3	चन्दनसिंह रावत	[illegible]
4	कन्हैया सिंह	[illegible]
5	अमरसिंह	अमरसिंह
6	रणजीतसिंह	[illegible]
7	कुन्नाराम	कुन्नाराम
8	विरेन्द्र सिंह	VS Rawat
9	कमलसिंह	[illegible]
10	धीरसिंह	[illegible]

ह0
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव मरोड़ा
ग्राम पंचायत.......
मुहर सहित
वि0 ख0 गैरसैंण
जनपद–चमोली

ग्राम पंचायत [illegible] गैरसैंण (चमोली)

ह0 /–
ग्राम प्रधान / सरपंच
8/1/20
मुहर सहित

वन पंचायत सरपंच ग्राम फरकण्डे द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र

दिनांक 09/01/2020 को ग्राम सभा फरकण्डे की बैठक द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- फरकण्डे के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग को गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

क0 सं0	बैठक में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	ह0/–
1	हीरासिंह फनियाल [illegible]	[signature]
2	प्रेमसिंह सिराली सरपंच वन पंचायत फरकण्डे	[signature]
3	इन्द्रादेवी ग्राम प्रधान फरकण्डे	इन्द्रा देवी
4	कमलादेवी अध्यक्षा महिलामंगल दल फरकण्डे	कमलादेवी
5	कीरतसिंह [illegible] सरपंच फरकण्डे त0	किरतासिंह
6	हीरादेवी महिलामंगल दल [illegible]	हीरादेवी
7	सरस्वतीदेवी आशाकार्यकर्ती फरकण्डे	सरस्वती देवी
8	इन्द्रादेवी अध्यक्षा [illegible]	इन्द्रा देवी
9	सुन्दरीदेवी वार्ड सदस्य फ0 त0	सुन्दरी देवी
10	हिम्मत सिंह फनियाल	[signature]
11	भरत सिंह फनियाल उप प्रधान फ0	[signature]
12		

[signature]

सरपंच
वन पंचायत फरकण्डे तल्ली
वि0ख0 – गैरसैंण (चमोली)

वन पंचायत सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No-----

Dated--30.06.2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act. 2006 ('FRA'. for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.95 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Irrigation Department** for **Construction of Dam across Ramganga River at Gairsain in Chamoli district** falls within jurisdiction of **Maroda village in Gairsain** tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.95 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it:

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिला अधिकारी
District Collector
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

ज़िला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No--- --

Dated--30.06.2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 4.95 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Irrigation Division Tharali for Construction of Dam across Ramganga River at Gairsain in Chamoli district falls within jurisdiction of Maroda village in Gairsain tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried

out for the entire0.697 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications. in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Marodavillage is enclosed.

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

जिला अधिकारी
चमोली
(District Collector)

प्रारुप—30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of ...Swati S. Bhadoriya...... I.A.S deputy commissioner,. **Chamoli** on dated .30.6.21. at time .17:00 Hrs.......... in which application claiming rights in **Gairsain** area measuring **4.95 hect.** for the **Construction of Dam across Ramganga river** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Maroda sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Gopeshwar..

Dated:..30.06.2021..

जिलाधिकारी
चमोली
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैंण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैंण

जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण मे **प्रस्तावित बाँध के नव निर्माण हेतु** 4.95 **हे0** वन भूमि (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि,शून्य हे0 सिविल सोयम वन भूमि; 4.95 **हे0 वन पंचायत भूमि**, अर्थात कुल 4.95हे0 वन भूमि) का **सिंचाई विभाग** के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील–गैरसैण) की दिनांक 16/06/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ......कौस्तुभ मिश्र...... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री कौस्तुभ मिश्र ––––उपजिलाधिकारी –––– [signature] अध्यक्ष
2– श्री प्रदीप गौड़ ––––वन क्षेत्राधिकारी–––– [signature] सदस्य
3– श्री संदीप चौधरी ––––सहा0 समाज कल्याण अधिकारी [signature] सचिव
4– श्री शशि देवी –––– क्षे0पं0स0 रामडा मल्ला –––– सदस्य
5– श्री [illegible] लाल टम्टा ––––क्षे0पं0स0–– सिराणा –––– सदस्य
6– श्री मातवर सिंह ––––क्षे0पं0स0 –– कुली मज्याडी –––– सदस्य
7 श्रीमती महेश्री देवी " मैहलचौरी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया की प्रस्तावित बाँध के निर्माण हेतु 4.95 **हे0** वन भूमि सिंचाई विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित वन क्षेत्राधिकारी, लोहबा वन क्षेत्र ....द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन

है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित बाँध के नव निर्माण हेतु 4.95 हे0 वन भूमि सिंचाई विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गैरसैण
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गैरसैण
जनपद चमोली

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 16/06/2021 को सम्पन्न उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की उपस्थिति।

1	कौस्तुभ मिश्र	उपजिलाधिकारी गैरसैंण	उपजिलाधिकारी गैरसैंण जनपद चमोली
2	श्री प्रदीप गौड़	वन क्षेत्राधिकारी वन क्षेत्राधिकारी लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण	वन क्षेत्राधिकारी लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण
3	संदीप चौधरी	सहा0 समाज कल्याण अधिकारी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड- गैरसैंण (चमोली)
4	शशि देवी	क्षे0पं0स0	(श्रीमती शशि मोरियाल) प्रमुख क्षेत्र पंचायत गैरसैंण (चमोली)
5	गंगा लाल टम्टा	क्षे0पं0स0 सिराणा	गं.ला. टम्टा सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड-11 सिराणा वि.ख.-गैरसैंण (चमोली)
6	मातवर सिंह	क्षे0पं0स0 आली मज्याडी	मातबर सिंह सदस्य क्षेत्र पंचायत वार्ड 08 आली मज्याडी वि0ख0 गैरसैंण चमोली
7	महेशी देवी	क्षे0प0स0 मैठाना पौंटी	क्षे0 पं0 स0 ... वि0 ख0 गैरसैंण, चमोली।

प्रारुप–33

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भू–वैज्ञानिक की आख्या

(प्रस्तावित स्थल की भू–वैज्ञानिक द्वारा निर्गत अद्यतन निरीक्षण आख्या प्राप्त कर संलग्न की जाय।)

(संलग्न है।)

on contribute to the main river. The presence of surface water is clearly evidenced from the well irrigated agricultural practices in the catchment and the volume of water just below the Polytechnic as measured by the Irrigation department is 0.3 qmt./sec. in the month of June i.e. on lean period while it reaches 250 qmt./sec. and even more depend upon the monsoonal rains. Finally as it is evidenced from the high resolution satellite data as well as after ground verification the geomorphological signatures viz. the high hill range of the catchment is covered with full of vegetation capped with Pine and Oak. Deodar and Raga. The shape of the valley head is typically armed chair or amphitheater like feature. divert all the rain water in to a common floor and ultimately feed to Ramganga River throughout the year (Fig. 3). The mean monthly hydrological data as measured by irrigation department indicate that there is a sufficient volume of water discharge through these channels which finally runoff into the Ramganga River. It is evidenced by field observations that by a large most of the springs are supported by bedding joints cut across to the valley side slopes and dipping towards SW direction while the river is flowing towards SE direction.

GEOLOGY OF THE AREA:

The Geological knowledge of area is best on the pioneer work of Middlemiss (1887) who classified the rocks around Dudatoli Mountain into the Schistose Series and the Gneissose-granites. Auden (1937) grouped the phyllite around Pauri and Chandpur. He believed the Dudatoli Crystalline (Dudatoli Thurst Sheet) to be the metamorphosed Chandpur Formation equivalent to the Jutogh series of the Simala Hills. and tentatively correlated this thrust with that of Garhwal Nappe. Stratigraphycally the rocks of the present area fall under Dudatoli Group of Kumaun Super Group of Precambrian age. and Tectioncally within Dudatoli-Almora Unit (Mehdi et. al.1972).

In the present area of investigation. it was observed that the Dudatoli Granite-Gneiss is the heterogeneous association of the metamorphose migmatite and granite-gneiss (Fig. 4). The foliated gneiss is generally developed contact with schist and grades into sub-augen gneiss or augan gneiss. At places it is inter banded with schistose streaks and bands of Flaggy quartzite. The mineral shows lamellar structure. but often clustered into augen to rectangular shaped nodules measuring 20 x 1 cm. The granite-gneiss is generally leucocratic. massive. rarely foliated course to medium-grained. porphyritic. and rich in biotite and tourmarline.

on contribute to the main river. The presence of surface water is clearly evidenced from the well irrigated agricultural practices in the catchment and the volume of water just below the Polytechnic as measured by the Irrigation department is 0.3 qmt./sec. in the month of June i.e. on lean period while it reaches 250 qmt./sec. and even more depend upon the monsoonal rains. Finally as it is evidenced from the high resolution satellite data as well as after ground verification the geomorphological signatures viz. the high hill range of the catchment is covered with full of vegetation capped with Pine and Oak, Deodar and Raga. The shape of the valley head is typically armed chair or amphitheater like feature, divert all the rain water in to a common floor and ultimately feed to Ramganga River throughout the year (Fig. 3). The mean monthly hydrological data as measured by irrigation department indicate that there is a sufficient volume of water discharge through these channels which finally runoff into the Ramganga River. It is evidenced by field observations that by a large most of the springs are supported by bedding joints cut across to the valley side slopes and dipping towards SW direction while the river is flowing towards SE direction.

GEOLOGY OF THE AREA:

The Geological knowledge of area is best on the pioneer work of Middlemiss (1887) who classified the rocks around Dudatoli Mountain into the Schistose Series and the Gneissose-granites. Auden (1937) grouped the phyllite around Pauri and Chandpur. He believed the Dudatoli Crystalline (Dudatoli Thurst Sheet) to be the metamorphosed Chandpur Formation equivalent to the Jutogh series of the Simala Hills, and tentatively correlated this thrust with that of Garhwal Nappe. Stratigraphycally the rocks of the present area fall under Dudatoli Group of Kumaun Super Group of Precambrian age. and Tectioncally within Dudatoli-Almora Unit (Mehdi et. al.1972).

In the present area of investigation, it was observed that the Dudatoli Granite-Gneiss is the heterogeneous association of the metamorphose migmatite and granite-gneiss (Fig. 4). The foliated gneiss is generally developed contact with schist and grades into sub-augen gneiss or augan gneiss. At places it is inter banded with schistose streaks and bands of Flaggy quartzite. The mineral shows lamellar structure, but often clustered into augen to rectangular shaped nodules measuring 20 x 1 cm. The granite-gneiss is generally leucocratic, massive, rarely foliated course to medium-grained, porphyritic, and rich in biotite and tourmaline.

Table: 1. Lithostratigraphic Variations in the Dudatoli Group in Deferent Sections

Formation	Marchula - Masi section		Satpuli - Dudatoli section	
			Dudatoli Granite-gneiss	Heterogenous section sequence of granite migmatite and sichist
Dudatoli-Almora Crystalline	Dodatoli Schist	Garnite mica schist with bands of flaggy quartzrte, granite and augal niess Flaggy quratirti	Dudatoli Schist	Kyanite schist Garnet-mica schist with bands of flaggy quartizite. Granite and augan- gneiss Garnet-biotite-chlorite - schistose phyllite Flaggy quatizite

RECCOMONDATIONS:

On the basis of the geomorphologic features, geological characters and the disposition of rocks in the valley along with other mass movement phenomenon, it seems that the present proposed weir site for the construction of multi-purpose water pool is suitable. Some of the recommendations suggested to further stability of the structure are to be essentially taken under consideration before the final construction of the barrier is as:

1. Although the bed rocks are exposed all along the sides as well as floor of the channel even then right valley side slope must be of the water pool must be protected or guided by sufficient engineering structures to protect the movement of debris or rock mass into the submergence area.
2. Construction of check dams. gully plugging. and various gabion structures are essential to control the high sediment load carried by all the deeply cut by tributary channels located in upstream (particularly streams coming from Marora. Sare Gwar and Tal Gaoun side). The size and dimensions of these structures are designed as per site specific and the requirement.
3. Catchment Area Treatment (CAT) Plan must be prepared and implemented accordingly to increase life of reservoir and valley ecosystem.
4. Finally to maintain the aquatic ecosystem particularly for the migration of various species of fishes a Fish Ladder must be designed at one end of the barrier in the downstream side and make the surface uneven by pitching boulders or rock fragments gives a natural feel of channel floor.
5. Provision of de-siltation must be taken under consideration.

Dr. M. P. S. BISHT
Director (USAC)

Fig, 1: Upstream view of Ramganga showing bed rock exposed all along the channel course near Gairsain

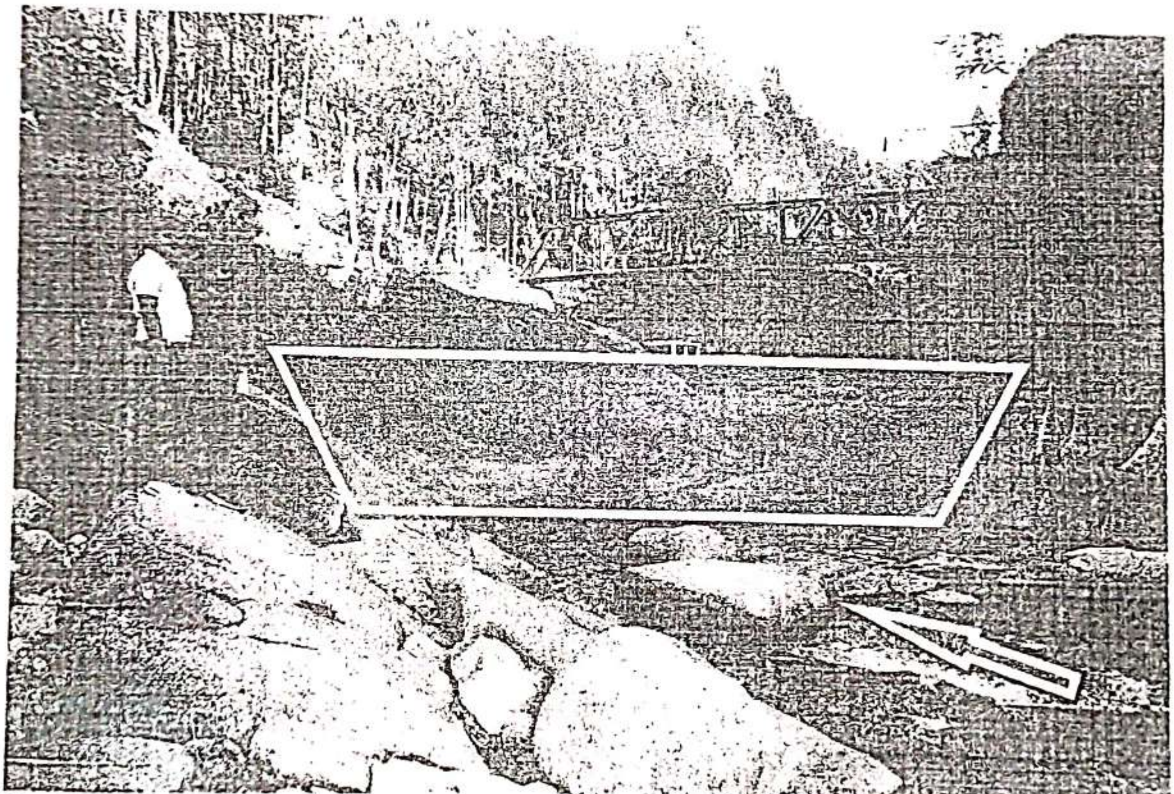

Fig, 2: Downstream view of Ramganga River near Gairsain and proposed Weir Site

Fig. 3: Synoptic view of the proposed multipurpose water pool and Weir site on Ramganga River near Gairsain (Chamoli).

Fig. 4: A) Rock sample collected from the proposed weir site is evidence that the bed rock exposed all along the channel as well as axis line is mainly granitic gneiss. B) Surface texture of the rock indicates that there is a predominance of silica (white colour) while biotite and other dark coloured minerals are in lesser amount.

प्रारुप–32

(लागू नहीं)

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भवन निर्माण /जल विद्युत परियोंजनाओं हेतु ले–आउट प्लान/ मदवार विवरण दिया जाना होगा ।

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

प्रारुप–34

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण	सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड थराली

।

प्रारुप–35

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे० वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-
(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता　　　सहायक अभियन्ता　　　अधिशासी अभियन्ता

प्रारुप–36

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 है0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख–रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिक़र भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खडे वृक्षों का

पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।

17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण	सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड थराली

प्रारुप–37

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्त्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा वन क्षेत्र गैरसैंण

तहसीलदार
गैरसैंण

उप जिलाधिकारी
गैरसैंण
जनपद –चमोली

जिला अधिकारी
चमोली

जिलाधिकारी
चमोली

प्रारुप–38

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण	सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड थराली

प्रारुप–39

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण	सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण	सिंचाई खण्ड थराली

प्रारुप–40

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्नलिखित स्थानीय ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क0सं0	नाम	जनसंख्या
1	गैरसैंण शहर	12079
2	सारकोट	1397
3	परवाड़ी	726
4	मरोरा	1562
	कुल	**15763**

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

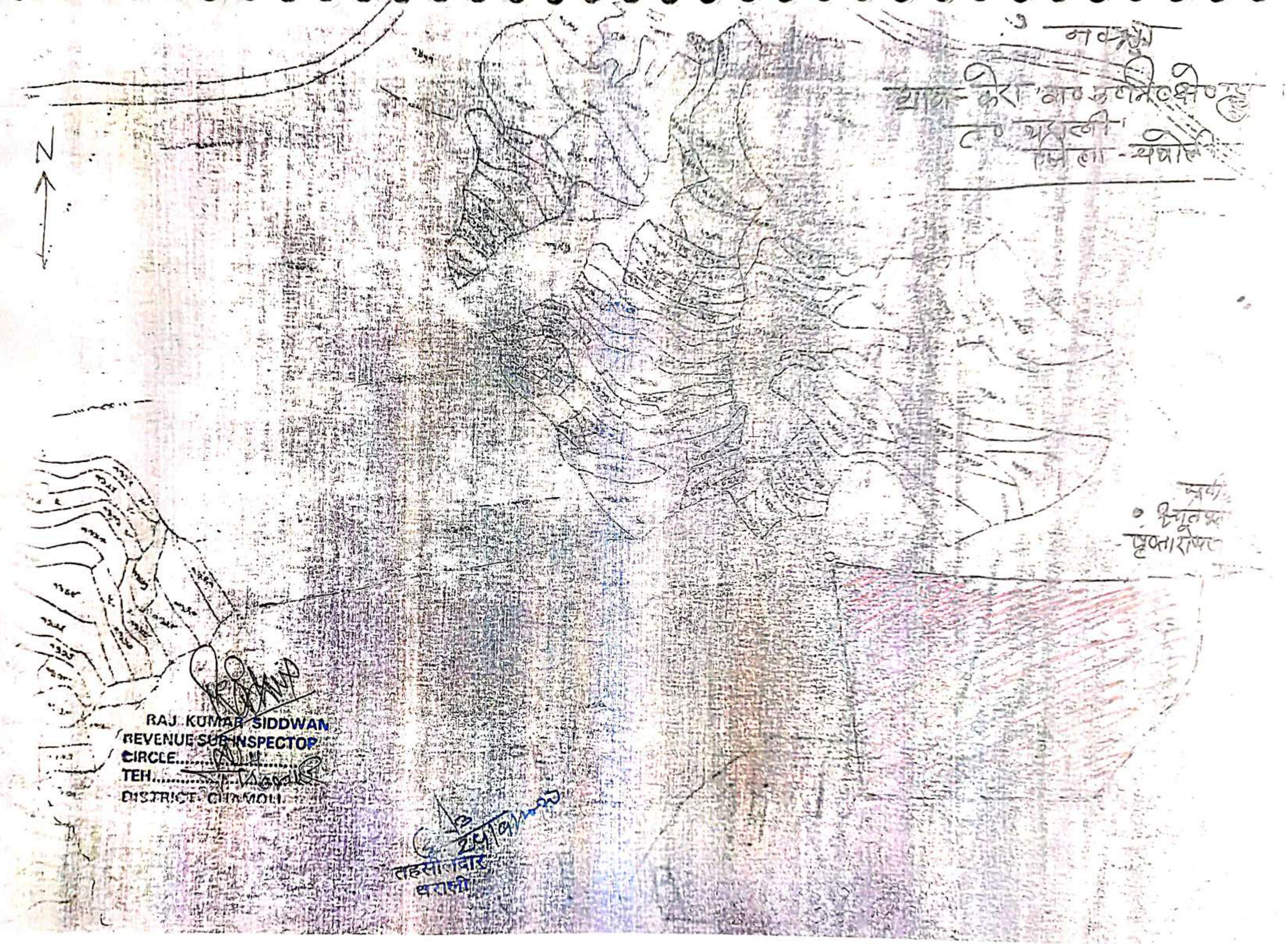
नक्शा
N
RAJ KUMAR SIDDWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCLE
TEH
DISTRICT CHAMOLI
तहसीलदार

परियोजना का नामः— मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु सिचाई विभाग को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 धनराशि का आकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1– इको–क्लास की श्रेणी V

2– हरियाली का घनत्व 0.6

3– एन0पी0वी0 की दर 9,39,000.00

4– आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 4.95

5– कुल देय एन0पी0वी0 .... 46,48,050.00

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

प्रारुप–41

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये................. प्रति हे0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु............हे0 वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रूपये.................... होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट प्रीमियम (मूल्य) का.................प्रतिशत की दर से रूपये...प्रतिवर्ष होता है।

जिलाधिकारी
चमोली

प्रारुप–42

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन मय मानचित्र
क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के साथ संलग्न किया जाना है ।

संलग्न है।

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

दुर्गा प्रसाद कपरूवाण
रा०उ०निरीक्षक
तहसील...
जनपद चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर, चमोली

तहसीलदार
गैरसैंण

ोजना का नामः– जनपद चमोली में गैरसैण के अन्तर्गत रामगंगा नदी पर टेम/जलाशय हेतु 4.95 हे वन भूमि
ाई विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सं	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
	सिविल सोयम भूमि	
		9.900
	योग	9.900

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय योजना

क्र0 सं0	रोपित प्रजातियां	संख्या
	बाजं, अंगू, देवदार, आंवला, सेमला, भीमल, कचार, बांस, कचनार, इत्यादि	10890
	रोपित कुल पौध	10890

प्रथम चरण

क्र0 सं0	कार्यमद का विवरण	मात्रा	इकाई	इकाई दर (प्रति रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	9.900	है0	168.00	1663.20
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान) आदि	9.690	है0	5446.00	52771.74
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	9.900	है0	48000.00	475200.00
4	गडढे खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित (प्रति गड्डा 25 ग्राम)	10890	गडढे	11.00	119790.00
5	पाधौं की कीमत (प्रथम वर्ष) उगाने का	10890	पौधे	10.00	108900.00
11	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयत्र औजार तेज करना एवं निरीक्षण बटिया	9.900	है0	1350.00	13365.00
12	साइन बोर्ड एवं फोटो ग्राफ	ल0सं0	ल0सं0		5000.00
	योग– प्रथम चरणः–				776689.94

द्वितीय वर्ष

क्र0 सं0	कार्यमद का विवरण	मात्रा	इकाई	इकाई दर (प्रति रू0)	योग
1	गडढे भरान कार्य	10890	सं0	2.07	22542.30
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	10890	सं0	3.00	32670.00
3	पौध ढुलान कार्य	10890	सं0	13.00	141570.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	10890	सं0	4.04	43995.60
5	पौंधों की प्रथम निराई गुडाई	10890	सं0	2.76	30056.40
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई एवं मलचिंग कार्य	10890	सं0	2.38	25918.20
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख पर व्यय 7 माह	9.900	प्रति है0/माह	1000.00	69300.00
8	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रो के अन्तर्गत सूखीघास फुंस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0 झाड़ी कटान (लैण्टाना, गाजर घास/काला बांसा)	3.000	है0	1682.00	5046.00
9	अन्य व्यय बोर्ड क्रय कर लगाना, कण्डी,रस्सी आदि।	9.900	है0	1500.00	14850.00
11	कन्टूरनालीयो में हयूमस, कीटनाशक डालान व बीज बोना	500.00	र0मी0	2.00	1000.00
	योग– द्वितीय चरणः–				386948.50

तृतीय वर्ष

क्र0 सं0	कार्यमद का विवरण	मात्रा	इकाई	इकाई दर (प्रति रू0)	योग
1	पौध की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	1089	पौधे	13.00	14157.00
2	पौध की ढुलान	1089	पौधे	13.00	14157.00
3	पुनः गढ्ढा खोदना एवं रोपण कार्य	1089	पौधे	6.00	6534.00
4	गढ्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	4.000	कु0	285.00	1140.00
5	पौधों की शीतकालीन निराई,गुडाई, मल्चिंग तथा खाद मिलाना	1089	पौधे	2.38	2591.82
6	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव अनुरक्षण कार्य 12 माह	9.900	प्रति है0/माह	1000.00	118800.00
8	गणना, फोटोग्राफी, अभिलेखीकरण व अन्य व्यय आदि।			L.S	2000.00
	योग तृतीय चरणः–				159379.82

	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य				
	करण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	9.900	प्रति है0/माह	1000.00	118800.00
	योग चतुर्थ चरणः–				118800.00
	पंचम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	9.900	प्रति है0/माह	1000.00	118800.00
					118800.00
	छठा वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	9.900	प्रति है0/माह	1000.00	118800.00
	योग छठा चरणः–				118800.00
	सातवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	9.900	प्रति है0/माह	1000.00	118800.00
	योग सातवां चरणः–				118800.00
	आठवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	9.900	प्रति है0/माह	1000.00	118800.00
	योग आठवां चरणः–				118800.00
	नौवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	9.900	प्रति है0/माह	1000.00	118800.00
	योग नौवां चरणः–				118800.00
	दसवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	9.900	प्रति है0/माह	1000.00	118800.00
	योग दसवां चरणः–				118800.00

5– कुल व्यय सांरास प्रति है0 व कुल व्यय

क्र0 सं0	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय		
1	प्रथम वर्ष	776689.94		
2	द्वितीय वर्ष	386948.50		
3	तृतीय वर्ष	159379.82		
4	चतुर्थ वर्ष	118800.00		
5	पंचम वर्ष	118800.00		
6	षष्ठम वर्ष	118800.00		
7	सप्तम वर्ष	118800.00		
8	आठवां वर्ष	118800.00		
9	नवम् वर्ष	118800.00		
10	दसम वर्ष	118800.00		
	कुल रूपयें	2154618.26		
	प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0 1459/3–2–2 दिनांक 01.07.2021 के अनुसार वर्ष 2021–22 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रति है0 रू0 370902.00के अनुसार प्रयोक्ता एज़ेन्सी से धनराशि की मांग की गयी है।	9.900	370902.00	3671930
	या देय कुल धनराशि			3671930.00

वन क्षेत्राधिकारी
गौचर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

प्रारुप—43

परियोजना का नाम :— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल ग्राम...केरा ...... वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

वन क्षेत्राधिकारी
पूर्वी पिण्डर रेंज देवाल
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

—प्रसाद

।। कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, मध्य पिण्डर रेंज थराली ।।
पत्रांक 945 / 12 दिनॉक, थराली, 15 / जनवरी / 2021

सेवा मे,

श्रीमान उपजिलाधिकारी
थराली।

विषय– जनपद चमोली के विकासखंड गैरसैण के अर्न्तगत रामगंगा नदी पर जलाशय निमार्ण हेतु (क्षतिपूरक वृक्षारोपण) संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खंड थराली का पत्रांक 590/सिं0ख0थ0/पी0–3 बैराज/दिनांक 22–10–2020 एवं मौखिक आदेश दिनाक 13–01–2020।

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र एवं आपके मौखिक आदेश के क्रम में जनपद चमोली के विकासखंड गैरसैण के अर्न्तगत रामगंगा नदी पर जलाशय निमार्ण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये **प्रस्तावित 11.17 है0 भूमि** के सम्बन्ध में श्रीमान तहसीलदार महोदय थराली, राजस्व उप निरीक्षक डुंग्री व स्थानीय ग्रामवासियों के साथ अनुभाग अधिकारी थराली द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा प्रेषित संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट के अनुसार राजस्व उप निरीक्षक डुंग्री द्वारा तीन पैचो में प्रस्तावित भूमि दिखायी गयी। जिसकी आख्या निम्नानुसार है।

पैच संख्या 01 – जिसका कुल सकल क्षेत्रफल 5.00 है0 है। जिसमें 40 प्रतिशत भाग चट्टानी है, अतः उक्त पैच में 60 प्रतिशत भाग (3.00 है0) पर ही वृक्षारोपण कार्य सम्भव है।

पैच संख्या 02 – जिसका कुल सकल क्षेत्रफल 5.00 है0 है। जिसमें 20 प्रतिशत भाग चट्टानी है, अतः उक्त पैच में 80 प्रतिशत भाग (4.00 है0) पर ही वृक्षारोपण कार्य सम्भव है।

पैच संख्या 03 – जिसका कुल सकल क्षेत्रफल 5.25 है0 है। जिसमें 20 प्रतिशत भाग चट्टानी है, अतः उक्त पैच में 80 प्रतिशत भाग (4.20 है0) पर ही वृक्षारोपण कार्य सम्भव है।

उपरोक्तानुसार कुल तीनों पैचों में **(3.00 + 4.00 + 4.20) = 11.20 है0** उपलब्ध भूमि जिसके कुछ भाग में स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा वर्षाकाल में घास इत्यादि भी काटा जाता है, उनके द्वारा कहा कि उन्हें इस क्षेत्र में वृक्षारोपण करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः प्रस्तावित 11.17 है0 भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण करने हेतु संस्तुति की जाती है।

भवदीय,

वन क्षेत्र अधिकारी
मध्य पिंडर रेंज थराली।

संयुक्त निरीक्षण रामगंगा नदी पर जलाशय निर्माण हेतु (क्षतिपूरक वृक्षारोपण)

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–281/2017 के अन्तर्गत जलाशय निर्माण हेतु सिविल सोयम भूमि जिसमें कि वन पंचायत की 4.95 है0 वन भूमि डूब में आनी प्रस्तावित है, जिसमें पूर्व में प्रस्तावित 3.50 है0 वन भूमि भी सम्मिलित है। जिस सम्बन्ध में उप–जिलाधिकारी थराली द्वारा उक्त पूर्व में प्रस्तावित वन भूमि 3.50 है0 के सापेक्ष ग्राम केरा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र डुंग्री तहसील थराली में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु खसरा संख्या 1016 रकवा 4.755 है0 एवं खसरा संख्या 1017 रकवा 4.685 है0 कुल रकवा 9.440 है0 भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी थी जिसका संयुक्त निरीक्षण दिनांक 05/01/2020 को किया गया था। किन्तु जलाशय का परिकल्प परीक्षण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कराया गया, जिसमें जलाशय की ऊँचाई वृद्धि हेतु निर्देशित किया गया। फलस्वरूप जलाशय के जल भराव एवं स्ट्रक्चर सहित अन्य कार्य के लिए 4.95 है0 वन भूमि की आवश्यकता होगी,जिसमें पूर्व में प्रस्तावित 3.50 है0 वन भूमि भी सम्मिलित है। जिस सम्बन्ध में उप–जिलाधिकारी थराली द्वारा पूर्व में चिन्हित 9.44 है0 के अतिरिक्त 1.00 हेतु उपरोक्त उल्लेखित राजस्व ग्राम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु खसरा संख्या 1015 रकवा 1.730 है0 भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण दिनांक 25.09.2020 को निम्न अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा किया गया है।

RAJ KUMAR SIDDWAN REVENUE SUB INSPECTOR CIRCLE ... डुंग्री TEH ... DISTRICT- CHAMOLI राजकुमार राजस्व उप निरीक्षक डुंग्री	तहसीलदार थराली	राकेश गुसांई वन–बीट अधिकारी थराली
जसपाल सिंह अपर सहायक अभियन्ता सिंचाई (खण्ड) थराली सिंचाई खण्ड थराली	राजेन्द्र प्रसाद पेटवाल जिलेदार सिंचाई खण्ड थराली	राजकुमार सहायक अभियन्ता प्रथम सिंचाई खण्ड थराली

प्रारुप—44

परियोजना का नाम :— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 1:50000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, संलग्न किया जाय। मानचित्र में समस्त सूचनाओं जी0पी0एस0 रीडिंग सहित दर्शाते हुए संकेत तालिका में भी दिया जाय।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण	सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण	सिंचाई खण्ड थराली

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा वन क्षेत्र गैरसैंण

दुर्गा प्रसाद कपरवाण
रा0उ0निरीक्षक
तहसील..
जनपद चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर, चमोली

तहसीलदार
गैरसैंण

...जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अंतर्गत विकासखंड गैरसैंण में प्रस्तावित बाँध निर्माण से प्रभावित वन भूमि हस्तांतरण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल 11.17है0)

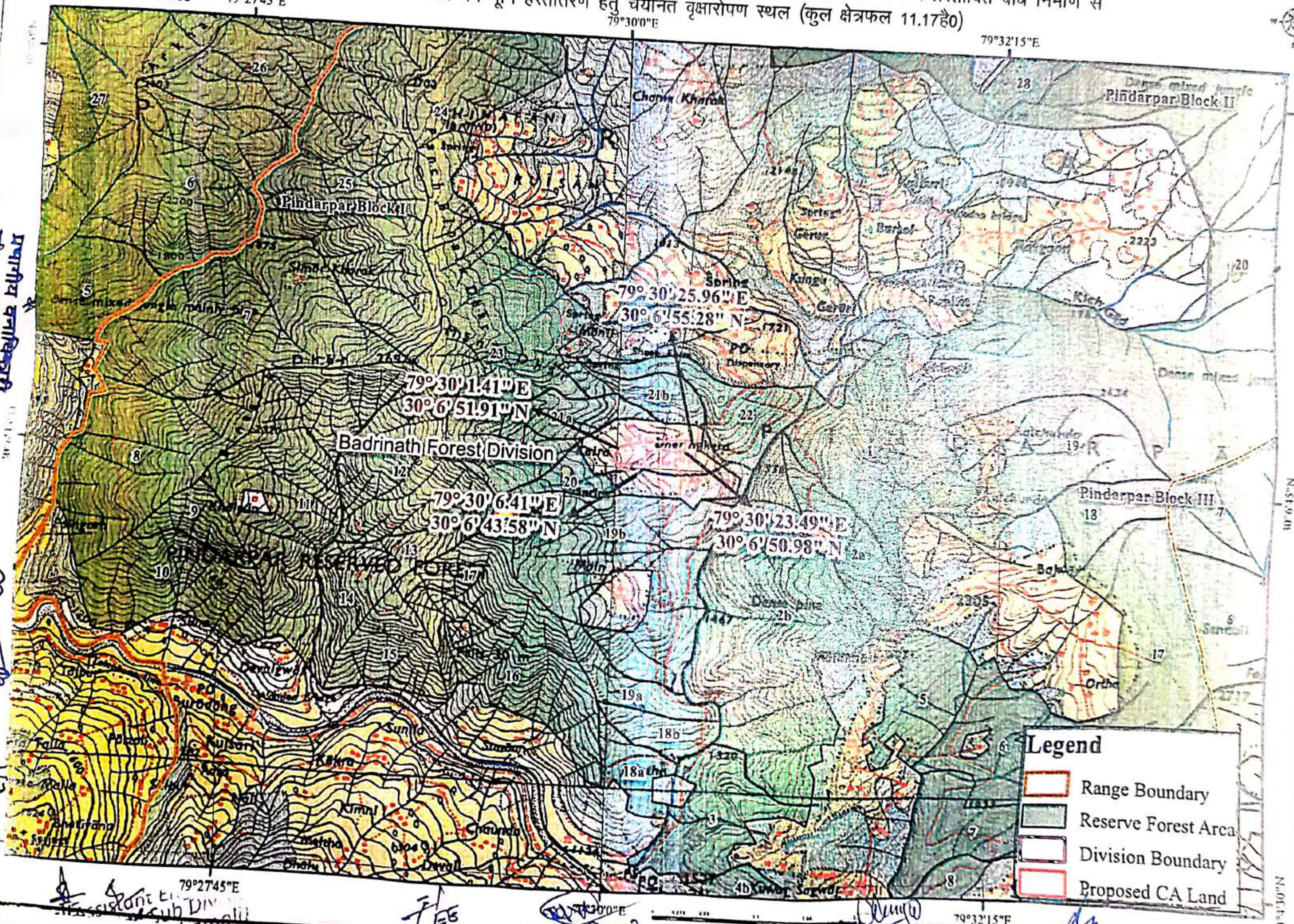

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
पूर्वी पिण्डर रेंज देवाल

उप वनाधिकारी

जिला अधिकारी

प्रारुप–45

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का रंगीन गूगल मानचित्र, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, संलग्न किया जाय। मानचित्र में समस्त सूचनाओं जी0पी0एस0 रीडिंग सहित दर्शाते हुए संकेत तालिका में भी दिया जाय।

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर, चमोली

जियोरेफेरेन्स मैपः–मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अंतर्गत विकासखंड गैरसैंण में प्रस्तावित बाँध निर्माण से प्रभावित वन भूमि हस्तांतरण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल 11.17है0)

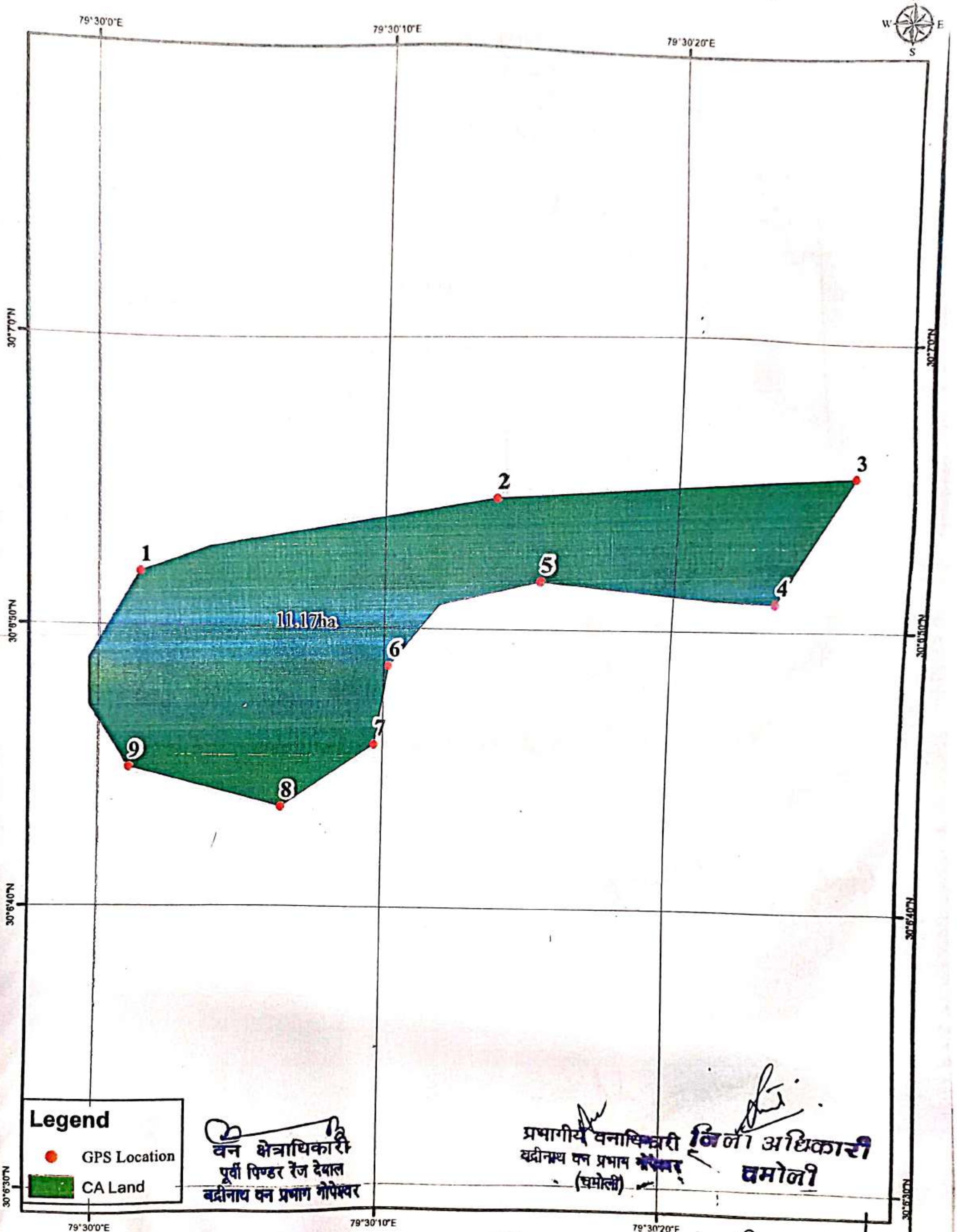

वन क्षेत्राधिकारी
पूर्वी पिण्डर रेंज देवाल
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

जिलाधिकारी
चमोली

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

JE
Sub Division Gairsain (Chamoli)

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा वन क्षेत्र गैरसैंण

दुर्गा प्रसाद कपरवाण
रा०उ०निरीक्षक
तहसील गैरसैंण

नकल खतौनी (फ० सं० १४२४)

ग्राम - केरा रा.उ.नि. क्षेत्र - कुराड़ त० थराली जिला - चमोली

1	2	3	4	5	6	7	8
35	चट्टान	-	1016	4.755	-	—	—
35	चट्टान	-	1017	4.685	—	-	—
25	बंजर	—	1015	1.730	-	-	—

नोट !- ० खसरा सं० 1016 व 1017 श्रेणी 10(A) मे दर्ज है।
० खसरा सं० 1015 श्रेणी 9(3)8 मे दर्ज है।
० खसरा सं० 1016 मे 0.051 हे० भूमि पट्टेधारको के नाम स्वीकृत है।

सत्यप्रतिलिपि

RAJ KUMAR SIDDWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCLE........
TEH........थराली
DISTRICT- CHAMOLI

24/9/2020
तहसीलदार
थराली

नकल खसरा ग्राम केरा पटवारी क्षे0 [illegible] तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1015	1.730	22	उत्त० सरकार														बंजर 1.780			
1016	4.735	35	उ० स०														[illegible] 4.[illegible]			
1017	4.835	35	उ० स०														[illegible] 4.835			

[illegible]

RAJ KUMAR SIDDWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCLE ....
TEH ....
DISTRICT- CHAMOLI

तहसीलदार
धराली
24/9/2020

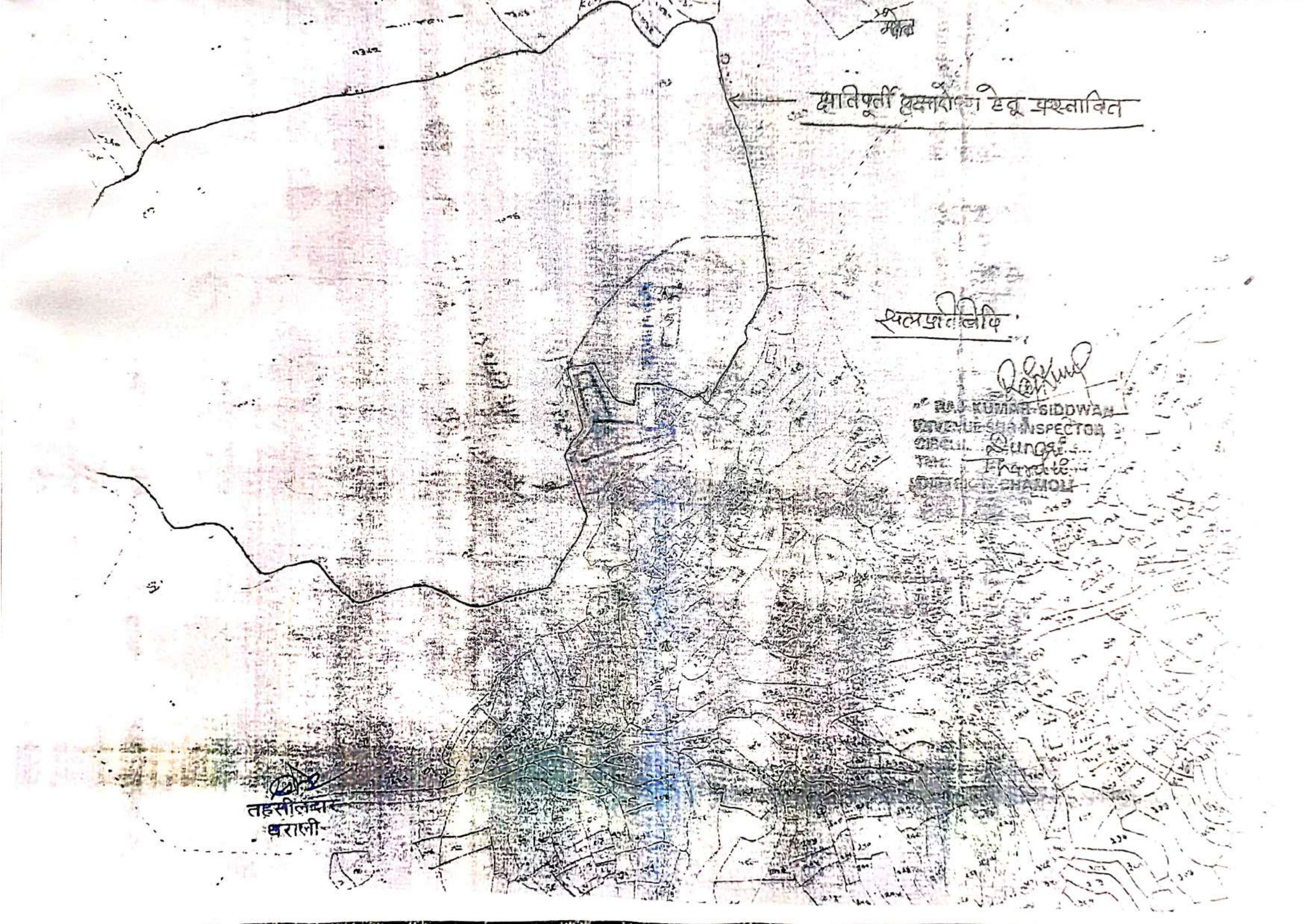
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित
स्थलप्रतिलिपि
RAJ KUMAR SIDDWAL
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCLE Lungri
THE. Tharali
DISTRICT CHAMOLI
तहसीलदार
थराली

प्रारुप–46

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों/पथ वृक्षारोपण/100 वृक्षों/काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना वृक्षों/बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण का प्राक्कलन संल्गन किया जाना है (जो भी लागू हो)

रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण

प्राक्कलन बाबत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर में पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बांध निर्माण कार्य के लिए 4.95 है0 वन भूमि के सिचाई विभाग को हस्तांतरण के फलस्वरूप संपर्क मार्ग पर पथ वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत 200 पौधों का रोपण।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

क्र0सं0	कार्य का नाम		मात्रा	दर (रू)	धनराशि
1	प्रथम वर्ष	1–गड्ढा खुदान 0.30x0.30x0.45	200	934.00 /सै0	1868.00
		2–सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड कय करना जालीदार या वेल्डर द्वारा बनाना	200	695.00	139000.00
		3–पौधों की कीमत	200	9.00	1800.00
		योग–	200	योग–	142668.00
2	द्वितीय वर्ष	1–गड्ढो का भरना 0.30x0.30x0.45	200	178 /सै0	356.00
		2–पौधों की कीमत	200	2.00	400.00
		3–पौधों की ढुलान ट्रक में लादना व उतारना–	200	135 /सै0	270.00
		4–ट्रक द्वारा पौधों की ढुलान 120 किमी दूर से	200	9.10 /सै0	1820.00
		5–सिरबोझ द्वारा पौधों की ढुलान 4 किमी दूर से	200	229 /सै0 बैग/किमी	1832.00
		6–ट्री गार्ड ढुलान करना साईन बोर्ड बनाना आदि कार्य	200	ल0स0	10000.00
		7–ट्री गार्ड फिक्स करना	200	326.00	652.00
		8–पौधों का रोपण करना	200	346 /सै0	692.00
		9–पौधों की प्रथम निराई गुढ़ाई	200	238 /सै0	476.00
		10–पौधों की द्वितीय निराई गुढ़ाई	200	205 /सै0	410.00
		11–पौधों की देखरेख अगस्त से फरवरी तक 1.1 किमी	7 माह	572 /माह	4004.00
				योग–	20912.00
3	तृतीय वर्ष	पौधों की देखरेख	12 माह	572.00	6864.00
4	चतुर्थ वर्ष	पौधों की देखरेख	12 माह	572.00	6864.00
5	पंचम् वर्ष	पौधों की देखरेख	12 माह	572.00	6864.00
6	षष्ठम् वर्ष	पौधों की देखरेख	12 माह	572.00	6864.00
7	सप्तम् वर्ष	पौधों की देखरेख	12 माह	572.00	6864.00
8	अष्ठम् वर्ष	पौधों की देखरेख	12 माह	572.00	6864.00
9	नवम् वर्ष	पौधों की देखरेख	12 माह	572.00	6864.00
10	दशम् वर्ष	पौधों की देखरेख	12 माह	572.00	6864.00
				योग–	218492.00
				योग–	218492.00

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

प्रारुप–47

(लागू नहीं)

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।

भूमिधर राजस्व विभाग
नाम पद एवं मुहर सहित

दुर्गा प्रसाद कपरूवाण
रा०उ०निरीक्षक
तहसील.. ....
जनपद चमोली

प्रारुप–48

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुए अनुबन्ध की प्रति संलग्न की जाय।

भूमिधर राजस्व विभाग
नाम पद एवं मुहर सहित

दुर्गा प्रसाद कपरूवांण
रा0उ0निरीक्षक
तहसील...
जनपद चमोली

प्रारुप–49

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मलवा निस्तारण योजना इस मार्ग दर्शिका के परिशिष्ट में दिये माडल अनुसार तैयार की जानी है।

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

वनक्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर, चमोली

दुर्गा प्रसाद कपरुवाण
रा0उ0निरीक्षक
तहसील......
जनपद चमोली

तहसीलदार
गैरसैंण

MUCK DISPOSAL PLAN

MUCK DISPOSAL PLAN

परियोजना का नाम:—माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडजवाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बांध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिचाई विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव।

S.N	Item of work	No	L	B	H	Quantity	Unit
MUCK THAT EXPECTED TO GENERAT FROM							
1	**FROM ROAD**						
i)	From hill side cutting .Taking average .Width of road (6.85+5.95)/2 =6.40 m Assuming 3.00 m hight and width 6.40/2 i.e. 3.20 m	1/2x1	1300.00	3.20	3.00	6240.00	CUM
ii)	From Construction of scupper (Dimensions as per standard drawing .8 Nos scuppers per Km)	1x8	7.00	2.00	2.10	882.00	CUM
2	**FOR DAM**						
1	From excavation in ordinary rock for foundation	1x3	100.00	7.50	0.50	1125.00	CUM
2	From excavation in Hard rock for foundation	1x3	100.00	7.50	1.00	2250.00	CUM
3	From excavation in Hard rock for foundation	3x64	9.00	4.50	2.30	17884.80	CUM
		TOTAL MUCK RECEIVED				**28381.80**	CUM
MUCK THAT PROPOSED TO CONSUME IN							
	For ROAD						
1	Earth and boulder filling in **super-elevation**. Total nos of curves in 1km =24 Nos 12 of [illegible] are convex curve.	1.3x12	20.00	7.00	(0.20+0.70)/2	982.80	CUM
2	Construction of **coolie walling**	1x1	300.00	0.60	(1.00+0.50)/2	135.00	CUM
3	Construction of **B/W**	1x1	400.00	(0.93+0.60)/2	1.800	540.00	CUM
4	Construction of **R/Wall**	1x1	450.00	(1.50+0.50)/2	4.000	1800.00	CUM
5	Construction of **wire create** at places.	1x98	3.00	1.50	1.250	551.25	CUM
6	Hand Packed **stone filling**	1x1/2	450.00	1.00	2.000	400.00	CUM
7	Making of **Edge stone**	1x300	0.45	0.20	0.100	2.70	CUM
8	soiling coat boulder filling in softy/slushy reaches	1x1	400.00	7.00	0.500	1400.00	CUM
9	Embankment Construction with Material Obtained from Borrow Pits	1x1	1300.00	7.00	0.300	2730.00	CUM
10	Granular Sub-base with Close Graded Material	1x2	1300.00	7.00	0.250	2275.00	CUM
11	Construction of Pucca **K.c drain**	1x1	200.00	0.60	0.100	12.00	CUM
12	Construction of **Scupper**	1x8	(8.60+7.90)/2	(1.8+1.60)/2	1.800	112.20	CUM
	FOR DAM						
2	for concreting of dam (80% of hard rock will be used as a aggregate)	3x1/2	100.00	7.50	1.000	1800.00	CUM
		3x64/2	9.00	4.50	2.30	14307.84	CUM
		TOTAL MUCK COSUMED				**27048.79**	CUM
BALANCE MUCK I.e (CUM),SHALL BE DISPOSED AT DUMPING YARDS.						**1333.01**	CUM

परियोजना का नाम:-माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडजवाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बांध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिचाई विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव।

Detail of Muck Dumping Yard

S.No.	Locational of Dumping Yard (Km.)	Area in Sqm.	Type of Land	Capacity of Dumping Yard Cum	Latitude "N"	Longitude "E"
1	0/2-0/5	20.00 x 12.00 X 3.00	Van Panchayat Land	720.00	30°03'34.41"	79°16'59.7"
2	0/18-0/25	30.00 x 12.00 X 2.50	Van Panchayat Land	900.00	30°03'38.5"	79°16'53.9"
3	1/32-1/35	60.00 x 15.00 X 2.00	Van Panchayat Land	1800.00	30°03'46.2"	79°17'00.5"
			Total Capacity of Dumping Yard	**3420.00**	**Cum**	

Summry of Debris Disposal

S.No.	Total Debries	Disposal during construction	Re-Used material for Road Construction	Total Disposal	Balance Debris
1	28381.80	1333.01	27048.79	**1333.01**	0.00

JE Assistant Engineer
Irrigation Sub Division
Gairsain (Chamoli)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, थराली

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

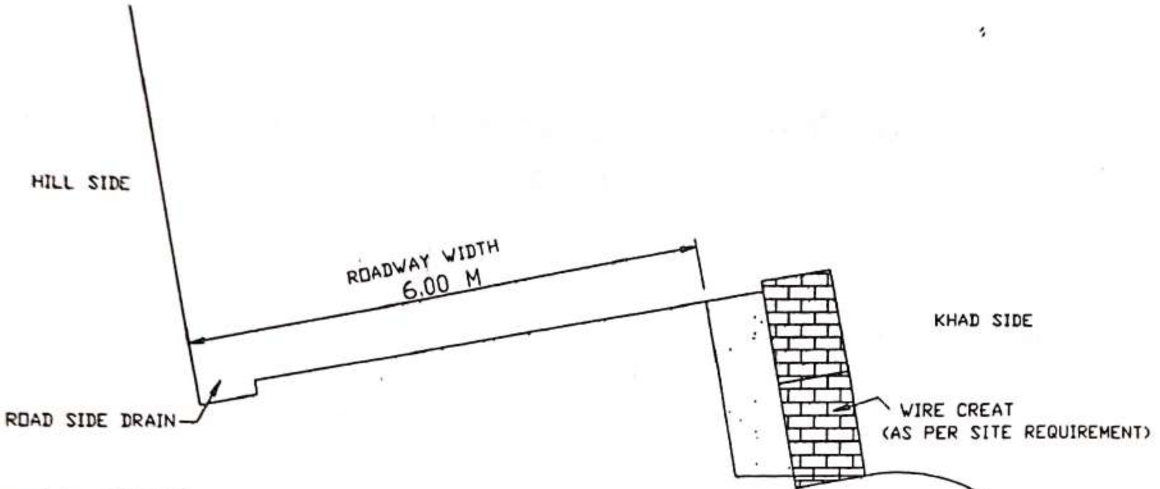

X SEC

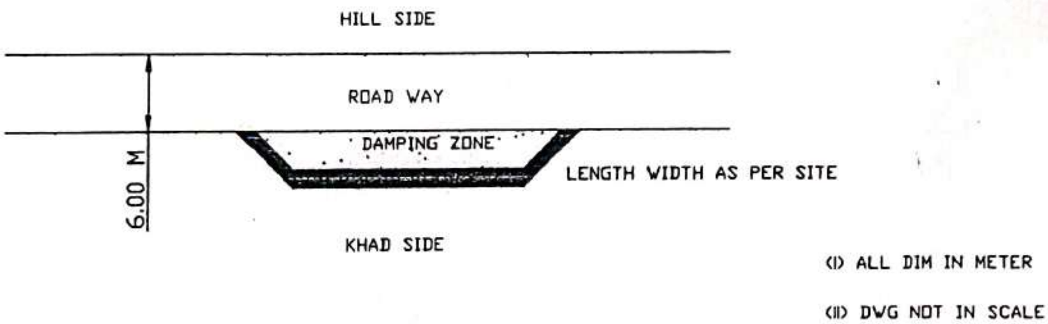

PLAN

JE

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, थराली

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

प्रारुप–51

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण	सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण	सिंचाई खण्ड थराली

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क.स.	कार्य का नाम	इकाई / संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
			ल0	चौ0	ऊचाई				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खौदना	1 x 1	0.8	0.8	0.45	0.288	Cu.m	358.30	103.19
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	1 x 1	Rate L.S			4	Kg	80.00	320.00
3	बुनियाद में सी0सी0 1:3:6 डालना	1 x 1	0.80	0.80	0.10	0.064	Cu.m	5955.70	381.16
4	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0 सी0सी0 पिलर की बुनियाद निर्माण	1 x 1	0.80	0.80	0.35	0.224	Cu.m	8532.90	1911.37
5	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया क्रय करना	ल0 स0				0.22	Qtl	6090.30	1339.87
6	आर0 आर0 1:6 मसाले मे पिलर की चिनाई कार्य	1 x 1	0.60	0.60	0.50	0.18	Cu.m	3430.40	617.47
7	पिलस के टाप में सी0सी0 1:2:4 डालना	1 x 1	0.60	0.60	0.10	0.04	Cu.m	6680.80	240.51
8	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	1 x 4	0.60	0.60		1.44			
		1 x 1	0.60	0.60		0.36			
		Total				1.80	Sq.m	198.00	356.40
9	पिलर पर चूना पुताई करना	मद सं0 8 के अनुसार				1.80	Sq.m	11.50	19.80
10	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	ल0 स0							100.00
								कुल योग	5389.77
								या प्रति पिलर लागत रु0	5390.00

कुल लम्बाई–1.9 किमी

पिलरों की सेख्या– 38 @ 5390 कुल लागत = 204820.00

(दो लाख चार हजार आठ सौ बीस मात्र)

JE

Assistant Engineer
Irrigation Sub Division
Gairsain (Chamoli)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, थराली

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

जनपद चमोली के गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि में 1.900कि0मी0 लम्बाई में प्रत्येक 50मी0 पर 0.60 x 0.60 x 0.60 घन सेमी0 के आर0सी0सी0 सीमा पिलर निर्माण कार्य करना।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

क.स.	कार्य का विवरण	मार्ग की लम्बाई	इकाई	मार्ग में लगने वाले पिलरों की संख्या प्रत्येक 50मी0 पर	इकाई	दर	धनराशि
1	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 3.50 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव व प्रस्तावित परियोजना के लिये 3.50 है0 में 1.300 कि0मी0 लम्बे मोटर मार्ग पर प्रत्येक 50मी0 पर 0.60 x 0.60 x 0.60 घन सेमी0 के आर0सी0सी0 सीमा पिलर निर्माण कार्य करना।	1.9(1.1+0.8)	KM	38	न0	1200.00	45600.00
						कुल योग	45600.00

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

प्रारुप–53(लागू नही)

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(वन भूमि लीज पर दिये जाने / लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू)

लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि ....वर्षो की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर, चमोली।

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

प्रारुप–54

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर मे पेयजल की आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर, चमोली।

वन क्षेत्राधिकारी
लोहवा वन क्षेत्र गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

प्रारुप–55

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281 / 2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के जलसमेट क्षेत्र के समेकित उपचार हेतु वन विभाग द्वारा तैयार की गई कैचमैन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (CAT PLAN) के क्रियान्वयन हेतु कैट प्लान में उल्लिखित धनराशि का भुगतान वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार यथासमय किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड थराली

वन क्षेत्राधिकारी
लोहबा वन क्षेत्र गैरसैंण

प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर, चमोली।

प्रारुप–56

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैंण शहर एवं एडज्वाइनिंग आवादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बाँध निर्माण कार्य के लिए 4.95 हे0 वन भूमि का सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति की आवश्यकता हो तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावणीय स्वीकृति भारत सरकार को प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण	सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड गैरसैंण	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड थराली